अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष- 43, अंक- 15, 16-31 मार्च 2020

"भगत सिंह और उनके साथी फांसी पाकर शहीद हो गए हैं। सरकार ने क्रांतिकारी पक्ष को अपने पक्ष में करने का एक सुनहरा अवसर गंवा दिया है। फांसी की सजा को अनिश्चित काल तक अमल में न लाना उसका फ़र्ज़ था। सरकार ने एक बार फिर लोकमत को ठुकराने और अपने अपरिमित पशुबल का प्रदर्शन करने की शक्ति को साबित किया है।"

"यह मेरा सुख स्वप्न है कि मैं भी गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह मरूं। एक तरफ एक मनुष्य मुझ पर कुल्हाड़ी चला रहा हो, दूसरा दूसरी तरफ से बरछी मार रहा हो, तीसरा लाठी मार रहा हो, चौथा लात- घूसे बरसाता जाता हो...ऐसी अवस्था में मैं खुद भी शांत रहूँ और लोगों से भी शांत रहने को कहूँ। हंसता हुआ मरूं, ऐसा भाग्य मैं चाहता हूँ।"

– भगत सिंह और गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत पर महात्मा गांधी

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक

वर्ष : 43, अंक : 15, 16-31 मार्च 2020

अध्यक्ष
महादेव विद्रोही

संपादक
बिमल कुमार
सहसंपादक
प्रेम प्रकाश
09453219994
संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'
प्रो. सोमनाथ रोडे अरविन्द अंजुम,
रमेश ओझा अशोक मोती

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

एक प्रति	:	05 रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310
IFSC Code : UBIN0538353
Union Bank of India
Rajghat, Varanasi

इस अंक में...

1. संपादकीय... 2
2. गांधी और भगत सिंह... 3
3. धर्म की आड़... 6
4. भारत में हो रहा नागरिक अधिकारों का... 7
5. दिल्ली हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं... 8
6. अध्यक्ष की कलम से... 9
7. यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने दिल्ली में... 11
8. यूएन मानवाधिकार आयोग ने... 11
9. दिल्ली हिंसा में ख़ाक हुई ज़िन्दगी... 12
10. दिल्ली हिंसा के दौरान संदिग्ध थी पुलिस... 15
11. उपन्यास - 'बा'... 16
12. गतिविधियां एवं समाचार... 18
13. कविता... 20

संपादकीय

नागरिकों पर दंगाइयों का हमला

उत्तर पूर्वी दिल्ली के नागरिकों पर साम्प्रदायिक दंगाइयों का हमला हुआ। तीन दिनों तक पुलिस व प्रशासन ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। नागरिकों के ऊपर हुए इस हमले को दंगाई हमलावरों की पहचान के आधार पर साम्प्रदायिकता का रंग देने की कोशिश की गयी, जिससे कि साम्प्रदायिक राजनीति करने वालों को इसका लाभ मिल सके। एक बड़ी चिन्ता का विषय यह भी रहा कि इसमें संगठित अपराधी गैंगों ने खुलकर हिस्सा लिया। साम्प्रदायिकता को बढ़ाने में संगठित अपराधी गिरोहों की भागीदारी, राजनीति के अपराधीकरण को और अधिक बढ़ावा देगी। जिन्हें इसका तात्कालिक लाभ मिल रहा है, अंततः वे भी इसके शिकार होंगे।

इन दंगाई हमलों की पृष्ठभूमि भी चिंताजनक है। देशभर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। यदि कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो मोटे तौर पर ये शांतिपूर्ण हैं। दूसरी ओर सत्ताधारी दल व उनके समर्थकों द्वारा सीएए के पक्ष में भी अभियान चलाया जाता रहा। इस दौरान भाषा का संस्कार टूटता गया। विरोधी को देशद्रोही बनाने का चलन बढ़ता गया। इसे साम्प्रदायिक रंग देने का असफल प्रयास भी किया गया। इसके पूर्व जेएनयू में, जिनसे असहमति है, उन पर हमला किया गया। संक्षेप में एक ऐसा माहौल पैदा किया गया है, जिसमें दिमागों में जहर भरने को सामान्य बनाया जा रहा है। सामान्य ही नहीं बनाया जा रहा है, कई जगहों पर इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। याद करें, गांधी जी की हत्या पर भी कई जगह जश्न मनाया गया था।

लेकिन आशा का व्यापक दायरा भी बना हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही, यदि कट्टर साम्प्रदायिक तत्त्वों को छोड़ दें, तो नागरिकों ने इसे हिन्दू-मुस्लिम नहीं बनने दिया। सामान्य आम लोगों के विचार बाहर आ रहे हैं। वे मान रहे हैं कि ये आपसी वैमनस्य तो कहीं था ही नहीं। इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। अधिकांश हमलावर बाहर के थे, जबकि मोहल्लों के अंदर, बड़ी संख्या में लोगों ने अन्य धर्मों के लोगों की रक्षा की व जान बचायी। देश भर में धार्मिक सद्भाव बनाये रखने का अभियान भी तेज हो गया। जरूरत है कि देश भर में धार्मिक सद्भाव बनाने के काम को गांव-गांव व मोहल्लो-मोहल्लों तक मजबूत किया जाये। भारत की पहचान के ऊपर हमला हो रहा है। भारत की पहचान इतनी ही नहीं है कि यहां की राजसत्ता (स्टेट) सेक्यूलर है, बल्कि यह भी है कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, जहां बड़ी संख्या में कई धर्मावलम्बी सौहार्द और सहयोग के साथ रहते हैं। संपूर्ण विश्व का दर्शन भारत में हो, भारत के हर गांव-मोहल्ले में हो, तभी हम विश्व के लिए आदर्श बन सकेंगे। मुस्लिम बहुल कश्मीर, भारत के साथ इसीलिए जुड़ा क्योंकि भारत सर्वधर्म समभाव वाला देश बन रहा था। पाकिस्तान का बहुमत (तब का पूर्वी पाकिस्तान व आज का बांग्ला देश) धर्म आधारित राष्ट्र के सिद्धांत को नकारते हुए पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया। पाकिस्तान में आज भी कई प्रांतों के लोग पाकिस्तान से मुक्त होना चाहते हैं। धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण एक साम्राज्यवादी चाल व षड्यंत्र था, जिसकी असफलता आज जग जाहिर है। धर्म के आधार पर जो राष्ट्र का निर्माण करना चाहेंगे, उन राष्ट्रों के टुकड़े-टुकड़े होते जायेंगे। इसलिए, जो मानते हैं कि भारत को विश्व का आदर्श राष्ट्र बनाना है और भारत की राष्ट्रीय एकता को नागरिक स्तर पर मजबूत रखना है, उन्हें देश भर में साम्प्रदायिक सौहार्द व सद्भाव को मजबूत करने में लग जाना होगा।

दंगों का इतिहास बताता है कि हिंसा, लूटपाट व आगजनी की घटनाएं 12 घंटे से अधिक तभी बनी रहती हैं, जब सत्ता-प्रशासन व पुलिस निष्क्रिय या मूक दर्शक बनी रहती है। जब कभी हिंसा, लूटपाट व आगजनी की घटनाएं 12 घंटे से अधिक तक बनी रहें, तब वहां के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को इसके लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तथा कर्तव्यपालन में ढिलाई के आधार पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

नफरत फैलाने वालों का हौसला, तब और बढ़ता है, जब उन्हें इसका लाभ चुनाव में मिलता है। अगर पिछले 30-35 वर्षों के ट्रेंड को देखें, तो पायेंगे कि चुनाव पूर्व नफरत की राजनीति तेज हो जाती रही है। नफरत की राजनीति सफल न हो, इसलिए व्यापक स्तर पर लोक शिक्षण तथा नागरिक एकता के अभियान को तेज करने की जरूरत है। इन कामों को सातत्यपूर्वक करना होगा। एक-दो घटनाओं की प्रतिक्रिया में कार्यक्रम करने से यह काम आगे नहीं बढ़ेगा। साम्प्रदायिक शक्तियां यदि निरंतर अपना काम कर रही हैं, तो आदर्श राष्ट्र बनाने वालों को भी अपना काम सातत्यपूर्वक करते रहना चाहिए।

–बिमल कुमार

गांधी और भगत सिंह

❑ सुजाता

शहीदे आजम भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? कब दी गई? उनकी विचारधारा क्या थी? ऐसी ढेर सारी बातें बहुत लोगों को नहीं मालूम, पर यह पता है कि भगत सिंह की फांसी की सजा को महात्मा गांधी चाहते तो रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रुकवायी...।

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किन तत्वों ने इस गलत बात को इतना प्रचरित और प्रसारित किया? अंग्रेजी हुकूमत को भी शायद नहीं पता होगा कि उसकी साजिश इतनी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। भगत सिंह की फांसी माफ कराने हेतु महात्मा गांधी की अपील पर अंग्रेजों के द्वारा ऐसी रणनीति का बनाना कि अवाम को लगे कि फांसी रुक जाएगी, और अचानक समय से पहले ही फांसी देने के कृत्य के पीछे एकमात्र मकसद तो यही नजर आता है कि उसे कांग्रेस में विद्रोह की सम्भावना दिखाई दे रही थी और महात्मा गाँधी के प्रति नवयुवकों के बीच उपेक्षा, घृणा या उदासीनता की संभावना भी दिख रही थी। इस बात को सुभाषचन्द्र बोस ने भी महसूस किया है, जिसका संकेत उन्होंने अपनी पुस्तक 'भारत का स्वाधीनता संघर्ष' में किया है।

अंग्रेजों को गुप्तचर एजेंसियों से पता चला कि यदि भगत सिंह को फांसी दे दी जाए, तो इसका असर भारत के स्वतंत्राता आंदोलन पर पड़े बिना नहीं रहेगा...। यह सच है कि अपने जीवन में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत से भगत सिंह की सजा को कम करने के लिए कहने वाले गांधी जी की बात यदि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा मान ली गई होती, तो इससे सबसे अधिक लाभ महात्मा गांधी को ही होता। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने उनसे यह वादा किया था कि अगर भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तो वे लोग हिंसक आंदोलन के रास्ते का त्याग कर देंगे। क्रांतिकारियों के इस वादे से गांधीजी काफी आशान्वित थे।

पर अंग्रेजी हुकूमत ऐसा क्यों चाहती...? उसकी तो बुनियाद ही इस पर टिकी थी कि बांटो और राज करो। उसने तो एक तीर से दो नहीं, अनेक शिकार करने की कोशिश की।

आजतक किसी भी व्यक्ति को, जिसकी गांधी में आस्था है, कभी भी भगत सिंह की निन्दा करते नहीं सुना, पर वे कौन से तत्व हैं, जिन्हें भगत सिंह की महिमा को गाने के लिए महात्मा गांधी को गाली देना आवश्यक लगता है?

महावीर बुद्ध के बाद हमारे देश को महात्मा गांधी जैसा विरल व्यक्तित्व मिला, जिसे उसके प्रतिद्वंद्वी भी सत्य के अवयवों से निर्मित मानव मानते रहे हैं। पर सालों साल गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण हमारे मन, मस्तिष्क इतने कुंद हो गए कि हम अपनी ही धरोहर को, अपनी ही अनमोल कृति को संजो, संभाल कर रखने लायक भी नहीं बन पाए। अंग्रेजों की लगाई गई आग की लपटें इतने दिनों के बाद भी ठंडी नहीं हो पायीं। आज भी वह सात समंदर पार स्वयं बंदर बना हुआ हमें बिल्ली बनकर लड़ते हुए देख रहा है। जैसे बंदर सारी रोटी खा गया था, वैसे ही एक दिन वह महात्मा गाँधी को भी हथिया लेगा, यह कह कर कि यह ऐसी कौम है, जिसने पूरी जिन्दगी इनकी सेवा में लगाने वाले की सिर्फ हत्या ही नहीं की, बल्कि आज भी शर्मिन्दा होने की जगह गालियाँ दे रहा है।

आइये, अपने इतिहास पर एक नजर डालें। 30 सिंतबर, 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक अर्जी देकर भगत का बचाव करने के लिए एक अवसर देने की मांग की। लेकिन भगत सिंह और उनके साथी बिल्कुल अलग नीति पर चल रहे थे। उनके अनुसार, ब्रिटिश सरकार बदला लेने की नीति पर चल रही है और उसका न्याय सिर्फ ढकोसला है। किसी भी तरीके से उसे सजा देने से रोका नहीं जा सकता। उन्हें लगता था कि यदि इस मामले में कमजोरी दिखाई गई, तो जनचेतना में अंकुरित हुआ क्रांति का बीज स्थिर नहीं हो पाएगा। पिता द्वारा दी गई अर्जी से भगत सिंह की भावनाओं को चोट लगी। लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर, अपने सिद्धांतों पर जोर देते हुए उन्होंने 4 अक्तूबर, 1930 को अपने पिता को यह पत्र लिखा। उनके राजनीतिक मामलों की पैरवी कैसे की जाए, इसकी चर्चा भगत सिंह ने अपने इस पत्र में की-

पूज्य पिताजी,

मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को आवेदन भेजा है। यह खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाशत नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल-पुथल मचा दी है। मैं यह नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में इस मामले पर आप इस तरह का आवेदन कैसे दे सकते है? आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि मेरे साथ सलाह-मशविरा किए बिना ऐसा आवेदन देने का आपको कोई अधिकार नहीं था। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफी अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किए बिना सदा स्वतंत्रातापूर्वक काम करता रहा हूं।

मुझे यकीन है कि आपको यह बात याद होगी कि आप आरंभ से ही मुझसे यह बात मनवा लेने की कोशिशें करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूं, लेकिन आपको यह भी मालूम है कि मैं सदा इसका विरोध करता रहा हूं। मैंने कभी भी अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की और न ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया है।

आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। हमरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज

स्थितियां बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर स्थितियां इससे कुछ अलग भी होतीं, तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता, जो अपना बचाव प्रस्तुत करता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णयता इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नजरिया यह रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इस सिद्धांत के अनुरूप रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, यह फैसला करना मेरा काम नहीं। हम खुदगर्जी को त्यागकर अपना काम कर रहे हैं।

× × ×

हम आपस में मतभेद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझसे सलाह लिए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं, जितनी कि आप सोचते हैं। कम-से-कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। मेरे अलावा मेरे और साथी भी हैं, जिनके मुकदमे इतने ही संगीन हैं, जितना कि मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त योजना अपनाई है और इस योजना पर हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा।

पिताजी, मैं बहुत दुःख का अनुभव कर रहा हूं। मुझे भय है कि आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज्यादा सख्त न हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम न मानता, लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि यह एक निम्न स्तर की कमजोरी है। यह एक ऐसा समय था, जब हम सबका इम्तिहान हो रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप भी उतने ही देशप्रेमी हैं, जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए लगा दी है, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई, यह बात मैं नहीं समझ सकता।

अंत में मैं आपसे, आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से यह कहना चाहता हूं कि मैं आपके इस कदम को नापसंद करता हूं। मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती, तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करता। भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन-पत्र मैंने दिया था और उन दिनों में जो साक्षात्कार दिया था, उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है और अखबारों में यह प्रकाशित कर दिया गया कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूं, हालांकि मैं हमेशा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा। आज भी मेरी वही मान्यता है, जो उस समय थी।

बोर्स्टल जेल में बंदी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकता। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में जो उलझनें पैदा हो गई हैं, उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द-से-जल्द यह चिट्ठी प्रकाशित कर दें।

आपका आज्ञाकारी
भगत सिंह।

× × ×

महात्मा गांधी के मानस को लार्ड इर्विन की इस बात से समझा जा सकता है, जो इर्विन ने तब के बारे में कहा था, जब गांधी-इर्विन समझौते के लिए वार्ता चल रही थी। इर्विन ने कहा कि पुलिस अत्याचारों की जाँच किए जाने की मांग के दौरान गांधी जी ने थोड़ी देर बाद ही एक ऐसी बात कही, जो बाद में मेरे लिए इस बात की कुंजी बन गई कि मुझे उनके साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। गांधी जी ने कहा - 'जब आप या एमर्सन अपनी बात की पुष्टि में प्रबल से प्रबल तर्क देते हैं, तो उनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, किन्तु जब आप यह कहते हैं कि सरकार इससे कठिनाई में पड़ जाएगी और इसलिए आप मेरी बात मानने में असमर्थ हैं तो मेरा मन झुकने के लिए तैयार हो जाता है।' और वाइसराय ने स्वयं माना है कि उनके इस उच्च मानवीय मूल्य के सामने टिक पाना, मुश्किल काम था।

सुभाष चन्द्र बोस लिखते हैं कि "जैसे ही बम्बई से हम लोग दिल्ली पहुँचे, महात्मा जी को खबर मिली कि सरकार ने सरदार भगत सिंह और उनके दो साथियों को फांसी पर चढ़ाने का फैसला कर लिया है। इन युवकों को बचाने के लिए महात्मा जी को कहा गया और उन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपनी हर संभव कोशिश की। सुभाष चन्द्र बोस ने लिखा है कि 'वाइसराय ने स्वयं महात्मा जी से कहा कि मुझे तीन बंदियों की फांसी की सजा को रद्द करने के बारे में बहुत से लोगों के हस्ताक्षरों सहित अर्जी मिली है। फिलहाल मैं इस फांसी की सजा को स्थगित किए दे रहा हूँ, और फिर इस मामले पर गंभीरता से विचार करूँगा। वाइसराय ने महात्मा जी से यह भी कहा कि लेकिन इससे अधिक मुझ पर इस समय और दबाव न डाला जाय। महात्मा जी ने वाइसराय के इस रवैये से यही अनुमान लगाया कि फांसी अंततोगत्वा नहीं दी जाएगी और इससे सारे देश में खुशी की लहर दौड़ गई...।

संपूर्ण प्रकरण इस प्रकार घटित हुआ। जब महात्मा गांधी ने अत्यन्त शालीनतापूर्वक वाइसराय के सामने भगत सिंह की फांसी मुल्तवी करने की बात कही, तो वाइसराय ने कहा—आपने यह बात इस तरह मेरे सामने रखी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सजा कम करना कठिन काम है। किन्तु फांसी को मुल्तवी करने की बात पर तो जरूर विचार किया जाना चाहिए...। गांधी जी के मन में भी आशा का संचार हुआ, उन्होंने वाइसराय से कहा - वह बहादुर लड़का है, पर उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है...। फिर मृत्युदंड बहुत बुरी चीज है, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति को सुधरने का अवसर नहीं देती। मैं मानवीय दृष्टि से भी यह बात आपके सामने रख रहा हूँ...। ये सारी बाते 19 फरवरी को हुई।

7 मार्च को नौजवान भारत सभा को संबोधित करते हुए गांधीजी ने दिल्ली में कहा कि मेरा अहिंसा धर्म चोर, डाकुओं और यहाँ तक कि हत्यारों को भी सजा देने के पक्ष में नहीं है। भगत सिंह जैसे बहादुर आदमी को

फांसी पर लटकाने की बात तो दूर रही, मेरी अन्तरात्मा तो किसी को भी फांसी के तख्ते पर लटकाने की गवाही नहीं देती। यदि आपको हिंसा पर ही विश्वास है तो मैं निश्चयपूर्वक बता सकता हूँ कि आपने जो मार्ग अपनाया है, उसकी शताब्दियों से परीक्षा हो रही है। इतिहास में इस तथ्य के असंख्य उदाहरण है कि जो तलवार का प्रयोग करते हैं, वे तलवार से ही नष्ट हो जाते हैं।

यह अपील थी, यह प्रार्थना थी उस बूढ़े महात्मा की, जिसके बारे में सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था उस अवधि में पूरा हिन्दुस्तान उनके चरणों में नतमस्तक था, पर वह कितनी विनम्रता से अपने बच्चों को समझा रहा था, जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को समझाता है। जब लोगों में आशा की एक किरण दिखाई दे रही थी कि भगत सिंह फांसी की सजा से बच जाएंगे, तभी अचानक महात्मा गाँधी तथा अन्य लोगों को पता चला कि अंग्रेज सरकार भगत सिंह को फांसी की सजा दे रही है। महात्मा गांधी ने तुरंत वाइसराय को यह ऐतिहासिक पत्र लिखा -

प्रिय मित्र, आपको यह पत्र लिखना आपके प्रति क्रूरता करने जैसा लगता है, पर शान्ति के हित में अन्तिम अपील करना आवश्यक है। यद्यपि आपने मुझे साफ-साफ बता दिया था कि भगत सिंह और अन्य दो लोगों की मौत की सजा में कोई रियायत किये जाने की आशा नहीं हैं, फिर भी आपने मेरे शनिवार के निवेदन पर विचार करने को कहा था। डॉ. सप्रू मुझसे कल मिले और उन्होंने मुझे बताया कि आप इस मामले से चिन्तित हैं और कोई रास्ता निकालने का विचार कर रहे हैं। यदि इस पर पुनः विचार करने की कुछ गुंजाइश हो, तो मैं आपका ध्यान निम्न बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ।

जनमत, वह सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धान्त दाँव पर न हो तो लोकमत का मान करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। प्रस्तुत मामले में स्थिति ऐसी है कि यदि सजा हल्की की जाती है, तो बहुत सम्भव है कि आन्तरिक शान्ति की स्थापना में सहायता मिले। यदि मौत की सजा दी गई, तो निस्सन्देह शान्ति खतरे में पढ़ जायेगी।

मैं आपको यह सूचित कर सकता हूँ कि क्रान्तिकारी दल ने मुझे यह आश्वासन दिया है कि यदि इन लोगों की जान बख्श दी जाये, तो यह दल अपनी कार्यवाहियाँ बन्द कर देगा। यह देखते हुए मेरी राय में मौत की सजा को, क्रान्तिकारियों द्वारा होने वाली हत्याएँ जबतक बन्द रहती है, तब तक तो मुल्तवी कर देना एक लाजमी फर्ज बन जाता है। राजनीतिक हत्याओं के मामलों में इससे पहले भी तरजीह दी जा चुकी है। यदि ऐसा करने से बहुत-से अन्य निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती हो, तो उनको बचाना लाभदायक होगा। हो सकता है कि इससे क्रान्तिकारियों की आतंकपूर्ण कार्यवाहियाँ लगभग समाप्त हो जायें।

चूँकि आप शन्ति-स्थापना के लिए मेरे प्रभाव को, जैसा भी वह है, उपयोगी समझते प्रतीत होते हैं, इसलिए अकारण ही मेरी स्थिति को भविष्य के लिए और ज्यादा कठिन न बनाइए, यों ही वह कुछ सरल नहीं है। मौत की सजा पर अमल हो जाने के बाद तो वह कदम वापस नहीं लिया जा सकता। यदि आप यह सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी भी गुंजाइश है, तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूँगा कि इस सजा को, जिसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता, आगे और विचार करने तक के लिए स्थगित कर दें।

यदि मेरी उपस्थिति आवश्यक हो, तो मैं आ सकता हूँ। यद्यपि मैं बोल नहीं सकूँगा, पर मैं सुन सकता हूँ और जो कुछ कहना चाहता हूँ, वह लिखकर बता सकूँगा। दया कभी निष्फल नहीं जाती। *-मैं हूँ,*

आपका विश्वस्त मित्र मो. क. गांधी

पर वाइसराय का दो टूक उत्तर आ गया। 'मैंने आपकी हर बात पर दुबारा बड़े गौर से विचार किया है और मैं आपका काम कदापि और कठिन नहीं बनाना चाहूँगा, खासकर वर्तमान हालत में। लेकिन मुझे लगता है कि उन कारणों से, जिन्हें बातचीत के दौरान मैंने आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश की थी, मुझे किसी तरह ऐसा नहीं लगता कि आप जो कुछ करने का अनुरोध कर रहे हैं, उसे करना ठीक होगा।'

सारी आशाएँ धूमिल हो गयीं। वाइसराय के इस फरमान से लोगों के मन में निराशा के बादल भर गए...। अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी थीं कि लोग अपना होशो हवास खो दें। इन देशभक्त नौजवानों ने भी यही किया और जान की बाजी लगा दी...।

महात्मा गांधी ने लोगों से अपनी अपील में कहा- 'सरकार के बारे में मुझे ऐसा लगे बिना नहीं रहता कि उसने क्रांतिकारी पक्ष को अपने पक्ष में करने का सुनहरा अवसर गँवा दिया है। समझौते को दृष्टि में रखकर और कुछ नहीं, तो फांसी की सजा को अनिश्चित काल तक अमल में न लाना उसका फर्ज था। सरकार ने अपने काम से समझौते को बड़ा धक्का पहुँचाया है और एक बार फिर लोकमत को ठुकराने और अपने अपरिमित पशुबल का प्रदर्शन करने की शक्ति को साबित किया है।

23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई और 26 मार्च को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक कराची में थी तथा 29 मार्च को कांग्रेस का खुला अधिवेशन होना था। सुभाष चन्द्र बोस ने, जो स्वयं कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने कराची आए थे, लिखा है - 'प्रत्येक व्यक्ति इस बात का अनुभव कर रहा था कि कांग्रेस अधिवेशन एक शोकसंतप्त वातावरण में हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह आदेश दे दिया था कि अधिवेशन के पहले दिन जो हर्षोल्लास हुआ करता है, वैसा कुछ न किया जाए।

(सर्व सेवा संघ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 'गांधी और भगत सिंह' के कुछ चुने हुए अंश) ❑

रामेश्वर विद्यार्थी का निधन

राजस्थान के वरिष्ठ रचनात्मक कार्यकर्ता रामेश्वर विद्यार्थी का 28 फरवरी 2020 को निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। रामेश्वर विद्यार्थी का पूरा जीवन गांधी-विनोबा के रचनात्मक कार्य को समर्पित था। उन्होंने भूदान-ग्रामदान पदयात्रा एवं खादी ग्रामोद्योग के कार्य में सक्रिय भूमिका निभायी। उन्होंने राजस्थान खादी संघ की ओर से प्रकाशित 'खादी पत्रिका' का संपादन किया तथा राजस्थान ग्रामदान बोर्ड के वर्षों तक सचिव रहे। अंतिम वर्षों में वे राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि के मंत्री के पद पर रहे एवं सर्वोदय विचार परीक्षाओं का सफल संयोजन किया। जीवन के अंतिम वर्ष में वे अपने गांव दातारामगढ़ चले गये थे। रामेश्वर विद्यार्थी 25 वर्षों तक निर्विरोध गांव के सरपंच रहे। उन्होंने गांव की निःस्वार्थ सेवा की और सार्वजनिक कार्यों एवं सहभागिता को प्रोत्साहित किया। उनकी निःस्वार्थ सेवा को देखते हुए गांव के वरिष्ठ जनों ने गांव की ओर से उनकी सेवा की एवं हर आवश्यकता पूरी की। दिवंगत आत्मा को हमारी श्रद्धांजलि। **–डॉ. अवध प्रसाद**

धर्म की आड़

❑ गणेशशंकर विद्यार्थी

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गणेश शंकर विद्यार्थी की भूमिका इतिहास में स्वाणाक्षिरों में दर्ज है। 'सरस्वती' और 'अभ्युदय' जैसी पत्रिकाओं का संपादन कर चुके विद्यार्थी जी ने 9 नवंबर 1913 को हिन्दी साप्ताहिक 'प्रताप' का प्रकाशन शुरू किया। प्रताप में निरंतर लिखे अपने विचारोत्तेजक लेखों के कारण उन्हें पांच बार जेल जाना पड़ा। सांप्रदायिक सद्‌भाव पर लिखे उनके लेख आज भी पढ़े जाने योग्य हैं। 25 मार्च 1931 को कानपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान कट्टरपंथी मुस्लिमों की एक भीड़ द्वारा उनकी हत्या कर दी गयी। सर्वोदय जगत के इस अंक में विद्यार्थी जी की 90वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके लिखे इस चर्चित लेख को प्रकाशित करते हुए हम उनकी स्मृति को नमन कर रहे हैं। **–सं.**

इस समय, देश में धर्म की धूम है। उत्पात किये जाते हैं, तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है, तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जानें या न जानें, परंतु उसके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता-बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं, उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है, कुछ चलते-पुरजे, पढ़े-लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार, जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। साधारण-से-साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने? लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में, धनी लोग गरीब मजदूरों के परिश्रम का बेजा लाभ उठाते हैं। उसी परिश्रम की बदौलत गरीब मजदूर की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई उनकी अट्टालिकाएँ आकाश से बातें करती है। गरीबों की कमाई से वे मोटे होते हैं और उसी के बल पर वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय, धनपतियों का जोर है। यहाँ धर्म के नाम पर, कुछ इने-गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए, करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं हैं, जितनी बुरी है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए उन्हें जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर परदा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर, धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना-भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन-दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े-से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊँचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किये जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष में नित्य-प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे, उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊँचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे, उस तरह का धर्म आप मानें और दूसरे का मन चाहे, उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों को मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टाँग अड़ाते हों, तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाय। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, उसका वह दिन निःसंदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में, खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में, एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश की स्वाधीनता के संग्राम ने ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय, हमारे ही हाथों से बढ़ाई इनकी और इनके जैसे लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ें उखाड़ने में लगी हैं और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले, प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली-भाँति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म के ऊँचे और उदार तत्वों से है। उनके मानने में किसे एतराज हो सकता है। अजान देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। दो घंटे

भारत में हो रहा नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण

विश्व नागरिक मंच की रिपोर्ट

नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरुद्ध देशभर में चल रहे विरोध की चिंगारी विश्वस्तर पर पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने जहां इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वहीं 'सिविकस' नामक अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक संगठनों के मंच ने भी इस पर विस्तृत एवं तीखी टिप्पणी की है। सिविकस नागरिक समाज को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध नागरिक संगठनों तथा कर्मठ कार्यकर्ताओं का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य मानवीय चुनौतियों के निराकरण के लिए शिक्षित, प्रेरित और प्रतिबद्ध नागरिकों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। गत 28 फरवरी, 2020 को भारत के बारे में प्रकाशित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित सिविकस की रिपोर्ट में भारत को असहमति रखने वालों के विरुद्ध घातक शक्ति और अत्यधिक हिंसा का प्रयोग करने वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है। इसके मुख्य अंश हैं -

* मानवीय अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की मृत्यु तथा कारावास की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
* दमनकारी कानून तथा विचारों की अभिव्यक्ति पर सख्त नियंत्रण किया जा रहा है। भारत में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर दमित श्रेणी में रखे जाने योग्य है।

सिविकस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नागरिक अधिकार परिषद को इन घटनाओं के प्रमाणों के साथ इसमें सुधार के लिए कुछ सिफारिशें भी प्रेषित की हैं। भारत को निगरानी वाले उन देशों की सूची में शामिल किया गया है, जहां हाल ही के कुछ महीनों में मूलभूत लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में तीव्र गिरावट देखी गई है। विरोध प्रकट करने वालों पर प्राणघातक हमले, सक्रिय कार्यकर्ताओं की निरकुंश गिरफ्तारी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों ने भारत में नागरिक अधिकारों को संकुचित कर दिया है। नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के प्रकरणों पर नजर रखने वाले सिविकस मॉनीटर ने नई 'निगरानी सूची' जारी की है, जिसके अनुसार भारत में नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, जो कि सिर्फ गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है, के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अनेक मानव अधिकार संगठनों ने इस विवादास्पद कानून को पक्षपातपूर्ण तथा असंवैधानिक बताया है। 14 राज्यों के 94 जिलों में फैले इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप विरोध करने वालों को अत्यधिक प्रताड़ित किया गया तथा पुलिस की गोलियों से अब तक 31 लोग मारे गये हैं। हिंसा में सैंकड़ों लोग घायल हो गये और सैंकड़ों को जेलों में ठूंस दिया गया, जिनमें अनेक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवी शामिल हैं। सिविकस मॉनिटर के एशिया प्रशान्त क्षेत्र के शोधकर्ता जोसफ बेनेडिक्ट ने कहा है कि 'भारत में विरोध प्रकट करने वालों पर घातक हमले गहन चिन्ता का विषय हैं। मानव अधिकार समूहों द्वारा पुलिस हिंसा की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच की मांग के बावजूद कुछ नहीं किया गया है। सिविकस मॉनिटर ने भारत में वैचारिक अभिव्यक्ति पर नियंत्रण तथा असहमति का गला घोंटने के लिए दमनकारी कानूनों के उपयोग पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। उदाहरण के लिए भारतीय अधिकारियों ने कानून और व्यवस्था की दुहाई देते हुए कई जिलों में इन्टरनेट सेवा बन्द कर दी है। विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने औपनिवेशिक कानून का उपयोग करते हुए चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर धारा 144 का उपयोग किया जा रहा है। आने वाले सप्ताहों और महीनों में सिविकस मॉनीटर भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर पूरी नजर रखेगा तथा मानवीय और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सरकार पर दबाव बनायेगा।

गत वर्ष सिविकस मॉनीटर ने भारत में नागरिक अधिकारों की स्थिति को अत्यन्त दमनकारी घोषित किया था। यह पाकिस्तान, इराक और टर्की के बाद भारत के लिए अंकित की गई विश्व की दूसरी सबसे निम्न श्रेणी है। दुनिया के 38 देश इस सूची में शामिल हैं। सिविकस मॉनीटर द्वारा मई 2019 में नरेन्द्र मोदी के दुबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनैतिक और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर किये गये सख्त नियंत्रण के आधार पर भारत को इस श्रेणी में रखा गया है।

प्रस्तुति - भवानी शंकर कुसुम

तक बैठकर पूजा कीजिए और पंच-वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार की रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन-भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुँचाने के लिए आजाद समझते हैं तो, इस धर्म को, अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब आपका पूजा-पाठ नहीं देखा जायेगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगा। सबके कल्याण की दृष्टि से, आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश-भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेंगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो, वे लामज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊँचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख-दुःख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ-सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और ला-मज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि तुम मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके, मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। ❑

दिल्ली हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं

दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं. तुर्की, पाकिस्तान, अमरीका समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिनमें भारत सरकार की निंदा की गई है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने एक बार फिर से दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में हुए यहूदियों के क़त्लेआम से जोड़ा है.

इमरान ख़ान ने कहा है कि मुसलमानों के जला दिए गए घरों और दुकानों की तस्वीरें सामने आ रही हैं. मुसलमानों को मारा-पीटा जाना, मस्ज़िदों और क़ब्रगाहों को नापाक कर देना वैसा ही है, जैसा नाज़ी जर्मनी में यहूदियों की सामूहिक हत्या के रूप में हुआ था. भारत की नस्लवादी सरकार की बर्बर सच्चाई को दुनिया को समझना चाहिए और इसे रोकना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते मुसलमानों के साथ बर्बर बर्ताव किया और अब हम नई दिल्ली में वही होते हुए फिर से देख रहे हैं.

तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैय्यप अर्दोआन ने कहा कि भारत अब एक ऐसा देश बन गया है, जहां व्यापक स्तर पर नरसंहार हो रहा है. कैसा नरसंहार? मुसलमानों का नरसंहार. कौन कर रहा है? हिंदू. समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ रेचप तैय्यप अर्दोआन ने ये बात अंकारा में एक भाषण के दौरान कही.

अमरीकी सीनेटर और इस साल होने वाले अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की रेस में सबसे आगे चल रहे बर्नी सैंडर्स ने भी दिल्ली हिंसा की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भारत को अपना घर मानते हैं. मुस्लिम विरोधी भीड़ ने कम से कम 27 लोगों की जान ले ली और कई लोग घायल हुए. उन्होंने ये कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि मानवाधिकार के मुद्दे पर ये नेतृत्व की नाकामी है. बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के भारत दौरे पर रक्षा क़रार की भी आलोचना की. बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप भारत दौरे पर डिफेंस डील की घोषणा कर रहे थे, जबकि उन्हें जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भारत से साझेदारी बढ़ानी चाहिए थी. सैंडर्स ने ट्वीट कर कहा कि ट्रंप भारत से तीन अरब डॉलर के हथियार बेचकर डिफेंस कंपनियों रेदियॉन, बोइंग और लॉकहीड को अमीर बना रहे हैं, जबकि उन्हें भारत के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन पर काम करना चाहिए. हम भारत के साथ वायु प्रदूषण में कमी लाने, प्राकृतिक ऊर्जा और पृथ्वी को बचाने के लिए काम कर सकते हैं. इससे पहले बर्नी सैंडर्स ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने पर भी पीएम मोदी की नीतियों की आलोचना की थी. तब बर्नी सैंडर्स ने कहा था कि कश्मीर में भारत का क़दम अस्वीकार्य है. उन्होंने ये भी कहा था कि वे कश्मीर के हालात को लेकर चिंतित हैं. वर्मोंट से सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा था कि सुरक्षा के नाम पर कश्मीर में विरोध की आवाज़ को दबाने से स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच भी बाधित हुई है.

अमरीकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रीलिजयस फ्रीडम ने दिल्ली हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारियों में एक काम ये भी है कि वह अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराए. हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह भीड़ की हिंसा का निशाना बनाए जा रहे मुसलमानों और अन्य लोगों की सुरक्षा में गंभीर क़दम उठाए.'

> **विश्व के प्रतिष्ठित अख़बारों द्वारा ट्रम्प की भारत यात्रा की कवरेज**
>
> *अमेरिका : वाशिंगटन पोस्ट :* ट्रम्प की यात्रा के बीच दिल्ली में दशकों का सबसे बुरा सांप्रदायिक दंगा।
>
> *न्यूयॉर्क टाइम्स :* नई दिल्ली की सड़कें युद्ध क्षेत्र में बदलीं।
>
> *कनाडा : द टोरंटो स्टार :* मोदी ट्रम्प वार्ता के बीच दिल्ली में हिन्दू मुस्लिम संघर्ष।
>
> *यूनाइटेड किंगडम : द गार्डियन :* ट्रम्प की भारत यात्रा के बीच क़ातिलाना प्रतिरोध से दिल्ली दहली।
>
> *एक्सप्रेस :* भारत में दंगे, डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा पर प्रतिरोध के दाग.

इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी ने भी भारत से कार्रवाई की मांग की है. ओआईसी की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि ओआईसी भारत से ये अपील करता है कि वह मुस्लिम विरोधी हिंसा को अंज़ाम देने वाले लोगों को इंसाफ़ के कटघरे में खड़ा करे और अपने मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

मलेशिया के एक मुस्लिम यूथ ग्रुप ने भी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर चिंता जताई है. द मुस्लिम यूथ मूवमेंट ऑफ मलेशिया ने कहा है कि यह भारत सरकार की नाकामी है कि वह अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है. इस ग्रुप के महासचिव मोहम्मद फ़ज़रील मोहम्मद सालेह ने कहा कि प्रशासन दंगे को नियंत्रित करने में नाकाम रहा है. धार्मिक अतिवादियों ने मुसलमानों के घरों और पूजास्थलों को टारगेट किया है. यह संभव नहीं है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था इस क़दर कमज़ोर है कि दंगे को न रोक सके. हम भारत के विवादित क़ानून सीएए को लेकर भी चिंतित हैं.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद प्रमुख मिशेल बासेलेट जेरिया ने भी भारत में नागरिकता संशोधन क़ानून और सांप्रदायिक हिंसा को लेकर चिंता जताई है. जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की उच्चायुक्त ने पूरी दुनिया में मानवाधिकार की स्थिति और इसके सुधार के संबंध में हुई प्रगति को लेकर जानकारी दी. इस दौरान भारत का भी जिक्र किया गया. इसमें भारत प्रशासित कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद के हालात और हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुई मौतों को लेकर चिंता जताई गई. वहीं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर फिर निशाना साधा है. भारत ने कहा कि पाकिस्तान को चरमपंथी संगठनों का समर्थन बंद कर अपने देश की जनता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, ख़ास कर वह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में अपनी नाकामी को सुधारे. भारत ने कहा कि मानवाधिकारों पर उपदेश देने से पहले पाकिस्तान ये याद रखे कि आतंकवाद मानवाधिकारों के हनन का सबसे बड़ा जरिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ दिल्ली हिंसा में अब तक कम से कम 45 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोधियों और समर्थकों के बीच हुई हिंसा के बाद हालात बेकाबू हो गए थे.

–बीबीसी

अध्यक्ष की कलम से

❑ महादेव विद्रोही

अंग्रेजों के मुखबिर देंगे देशभक्ति का प्रमाण-पत्र

कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानी तथा कर्नाटक सर्वोदय मंडल के पूर्व अध्यक्ष 102 वर्षीय एच. एस. दोरेस्वामी को भाजपा के एक विधायक ने फर्जी स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का सबूत मांगा है। इतना ही नहीं, उन्हें पाकिस्तानी एजेंट तक कहा है। उनके इस वक्तव्य का केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी सहित कई भाजपा नेताओं ने समर्थन किया है। उनकी इस शर्मनाक हरकत से पूरा कर्नाटक सर्वोदय समाज आहत हुआ है। जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, अब उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण-पत्र लेना पड़ेगा?

दोरेस्वामी इसलिए नकली स्वतंत्रता सेनानी एवं पाकिस्तानी एजेंट (?) हैं, क्योंकि उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध अनशन किया था। वे कहते हैं - ''मैंने हर सरकार की आलोचना की है। यह एक नागरिक का अधिकार है। आपातकाल के दौरान मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा था कि आप लोकतंत्र के नाम पर शासन कर रही हैं, लेकिन तानाशाह जैसा व्यवहार कर रही हैं। अगर यह जारी रहा तो मैं घर-घर जाकर लोगों को बताऊंगा कि आप तानाशाह हैं।'' आपातकाल में उन्हें चार महीने जेल में रखने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा कर दिया

गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिहा करते हुए कहा था, 'उनके पास प्रधामंत्री की आलोचना करने का हर अधिकार है।' 1971 में बंगलुरु सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने एक दस्तावेज जारी किया था, जिसके अनुसार दोरेस्वामी 18 दिसंबर 1942 से बंद थे और उन्हें 8 दिसंबर 1943 को रिहा किया गया था।

उल्लेखनीय है कि दोरेस्वामी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। भूमिहीन किसानों के अधिकारों के लिए उन्होंने कैगा परमाणु संयत्र के खिलाफ चल रहे आंदोलन की अगुवाई भी की। 2014 में वे तथा गौरी लंकेश उस नागरिक आंदोलन के हिस्सा रहे, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया गया।

दोरेस्वामी कहते हैं - ''मैं चिन्तित नहीं हूं। मेरे दोस्त कहते हैं, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि वे मेरी आवाज दबा सकें। लेकिन संविधान हमारी रक्षा कर रहा है। लोग मुझे जानते हैं। मेरी जिन्दगी शीशे की तरह है, यकीनन लोग मेरा साथ देंगे। गरीबों को भोजन, रोजगार, शिक्षा मिले, इसलिए मैं अभी लड़ रहा हूं।'' उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को देश के सामने खड़े आर्थिक संकट पर ध्यान देना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आगामी जनवरी से असहयोग आंदोलन की शुरुआत करूंगा।

सर्व सेवा संघ ने अपने नेता एच. एस. दोरेस्वामी की जन्मशताब्दी के अवसर पर उन्हें 'सर्वोदय सम्मान' से सम्मानित किया था। हम भाजपा नेताओं की इस ओछी हरकत की निन्दा करते हैं तथा दोरेस्वामी के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं।

शिव विहार : हिंसा का नंगा नाच

3 एवं 4 मार्च 2020 को मैं दिल्ली के शिव विहार सहित अनेक हिंसाग्रस्त इलाकों में प्रभावित लोगों से मिला। इन क्षेत्रों में चुन-चुन कर घर लूटे और जलाये गये हैं। एक मस्ज़िद को जलाने के लिए तीन गैस सिलिन्डरों का उपयोग किया गया। प्रभावित लोगों ने बताया कि वे 100 नंबर पर पुलिस को लगातार फोन करते रहे, पर पुलिस नहीं पहुंची। जिस दिन हम इस क्षेत्र में गये, उसके एक दिन पहले वहां के नाले से 2 लाशें मिली थीं। वहां के लोगों का कहना है कि नालों में अनेक लोगों को मारकर डुबाया गया हो सकता है। अतः नालों की विस्तृत जांच होनी चाहिए। पर इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

सामान्यतया लोग संसद मार्ग, राष्ट्रपति भवन, कनॉट प्लेस एवं इसके आसपास के इलाकों के चकाचौंध को देखकर खुश हो जाते हैं, पर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार तथा आसपास के दूसरे इलाकों में जाने के बाद तथाकथित विकास की पोल खुल जाती है। यहां खुले हुए नाले हैं और गलियां इतनी संकरी है कि वहां कोई वाहन नहीं जा सकता, बिजली के तार लटक रहे हैं और न जाने इस तरह की कितनी ही आश्चर्यजनक बातें हैं। पता नहीं, किसी मंत्री को इस इलाके के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी है या नहीं!

दिल्ली सर्वोदय मंडल के संयोजक लक्ष्मीदास के अभिक्रम में दिल्ली की विभिन्न संस्थाओं की एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें दिल्ली गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष मंगतराम सिंहल तथा जागरण विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरुण स्वरूप सहित चार बैंकों के अध्यक्ष शामिल थे। इन बैंकों ने तय किया है कि वे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त रुप से राहत एवं पुनर्वास का काम करेंगे।

दिल्ली में अमन एवं सद्भावना के लिए गांधीजनों की प्रार्थना सभा

दिल्ली की हिंसा ने हमें विचलित कर दिया। ऐसे में गांधी का रास्ता ही हमारे सामने है। वहां अमन-चैन तथा सद्भावना स्थापित हो सके, इसलिए सर्व

सेवा संघ की ओर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर 4 मार्च 2020 को प्रार्थना सभा आयोजित की गयी। कार्यक्रम में दिल्ली, हरियाणा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के प्रतिनिधि तथा सर्वोच्च न्यायालय के कई अधिवक्ता शामिल हुए। जंतर-मंतर पर आजकल शाम 5.00 बजे के बाद किसी प्रकार के कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए हमें संक्षेप में अपना कार्यक्रम पूरा करना पड़ा। इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट पृष्ठ 19 पर देखें।

नारायणराव खल्लारकर

खादी के पुराने कार्यकर्ता 90 वर्षीय नारायणराव खल्लारकर को दो महीने पहले दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में उन्हें इंजेक्शन देने के बाद वे कोमा में चले गये। लम्बे समय के बाद होश में आये, तो मैं 6 मार्च को वर्धा स्थित उनके

आवास पर उनसे मिला। उनकी पुत्रवधू कविता जी ने बताया कि अभी तक तो वे थोड़ा-थोड़ा चल लेते थे, पर दो दिनों से बिस्तर पर हैं और स्मृति चली गयी है। कुछ देर उनका हाथ पकड़ कर बैठा। अचानक वे बोल पड़े, 'महादेवभाई, अहमदाबाद'? मैंने कहा–'खल्लारकर जी, अभी 90 वर्ष ही हुए हैं। सेंचुरी पूरी करनी है।' उन्होंने 'हां' कहा। फिर थोड़ी देर के बाद कहा– 'नहीं, बिल्कुल नहीं।' उनकी पत्नी भी कुछ दिनों पहले गिर गयी थीं और उनकी कमर के पास की हड्डी टूट गयी थी। उन्हें रॉड लगाया गया है। एक सक्रिय कार्यकर्ता को इस तरह बिस्तर पर देखकर चिंता हुई। हम दोनों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते है।

गांधी बुक सेंटर

1 मार्च 2020 से राजघाट, नई दिल्ली स्थित बापू की समाधि के सामने सर्व सेवा संघ प्रकाशन द्वारा संचालित गांधी बुक सेंटर का शुभारंभ हो गया है।

पहले ही दिन चीनी एवं स्पेनिश भाषा में गांधीजी की आत्मकथा की मांग आयी। यह दर्शाता है कि दुनिया के विभिन्न देशों में गांधी के प्रति कितनी ललक है। आने वाले दिनों में हम अपने इस बुक सेंटर को गांधी साहित्य के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करेंगे। आपके सुझाव इसे विकसित करने में सहायक होंगे।

गांधी से प्रेरणा

कुछ महीने पूर्व सेवाग्राम में एक रेस्टोरेंट शुरू हुआ है। शुरू करने वाले कोई सर्वोदय कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगा कि हम सेवाग्राम में रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं, तो वह सादगीपूर्ण तथा सेवाग्राम आश्रम से मिलता-जुलता होना

चाहिए। इसी दृष्टि से उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को डिजाइन किया है। उनकी इस भावना को सलाम। आशा है हमें भी ऐसी प्रेरणा मिलेगी तथा हममें भी ऐसी सूझबूझ आयेगी। गांधी से सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया के अनेक लोग प्रेरणा लेते रहते हैं।

दांडी यात्रा की 90वीं जयंती

12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ (बाद में इस मार्च में दो और यात्री शामिल हुए) यह कहते हुए दांडी यात्रा पर निकले थे कि मैं कौए या कुत्ते की मौत मरूंगा, पर जब तक आजादी नहीं मिलेगी, लौटकर साबरमती नहीं आऊंगा। इस यात्रा का समापन 6 अप्रैल को दांडी में हुआ था।

नमक पर टैक्स लगाने के अंग्रेजों के जुल्मी कानून के विरुद्ध गांधीजी साबरमती से दांडी तक 240 मील (385 किमी) के कूच पर निकल पड़े थे। उस जमाने में टीवी नहीं था, एकमात्र रेडियो और उंगुलियों पर गिन सकें, उतने ही अखबार थे, पर दांडी कूच का संदेश पूरे देश में बिजली की तरह फैल गया।

इस आंदोलन में गांधीजी के अलावा लगभग 60 हजार आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी हुई थी।

दांडी कूच की 90वीं जयंती पर तुषार गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 2020 को पुनः एक दांडी यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस बार यह यात्रा संविधान की रक्षा के लिए है। सबेरे 5.45 बजे जब तुषार गांधी और प्रकाश आम्बेडकर बापू के आश्रम में पहुंचे, तो साबरमती आश्रम मेमोरियल एंड प्रिजर्वेशन ट्रस्ट के हाकिमों ने कहा कि वे हृदयकुंज के बरामदे में प्रार्थना नहीं कर सकते। ऐसे में सभी लोग जमीन पर नीचे बैठ गये और सर्वधर्म प्रार्थना हुई। नरेन्द्र शास्त्री ने 'संविधान वाले बाबा' गीत गाया और प्रकाश आम्बेडकर ने भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, जिसे सभी लोगों ने दोहराया।

तुषार गांधी व प्रकाश आम्बेडकर ने छः युवाओं की एक टुकड़ी को झंडा दिखाकर विदा किया। ये लोग दौड़ते हुए दांडी तक जायेंगे। इसके पश्चात करीब 50 मोटरसाइकिल सवारों को भी हरी झंडी दिखायी गयी। ये भी दांडी तक जायेंगे। इस यात्रा में दुनिया के पांच देशों और भारत के सात प्रदेशों के नागरिक शामिल हुए। यात्रियों के हाथ में राष्ट्रीय झंडा तथा सिर पर गांधी टोपी थी। यात्रा के शुभारंभ होने पर यात्री दल ने दो महत्त्वपूर्ण नारे लगाये, जो आज के संदर्भ में बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। वे नारे हैं-

'वो कहते हैं लाठी मारो, गोली मारो। हम कहते हैं नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो।'
'वे डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे।' ❑

यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा पर जतायी चिंता

यूएन महासचिव के प्रेरणास्रोत हैं गांधी

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने जिनीवा में मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र के दौरान भारत में नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के बाद उपजे हालात और राजधानी नई दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुई मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की है. यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने भी हिंसा में लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख जताते हुए अधिकतम संयम बरते जाने और हिंसा से दूर रहने की अपील की है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने जिनीवा में मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की स्थिति और अपने कार्यालय के कामकाज से अवगत कराया.

भारत में नागरिकता संशोधन क़ानून के बाद हालात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी समुदायों के भारतीयों ने बड़ी संख्या में आमतौर पर शांतिपूर्ण ढंग से क़ानून के प्रति अपने विरोध को दर्ज कराया है और देश में धर्मनिरपेक्षता की लंबी परंपरा को अपना समर्थन दिया है. मैं कुछ गुटों द्वारा मुस्लिमों के खिलाफ़ हमले करने के मामलों में पुलिस की निष्क्रियता और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की रिपोर्टों से चिंतित हूं.

मैं सभी राजनैतिक नेताओं से हिंसा की रोकथाम की अपील करती हूं. यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि महासचिव स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और नई दिल्ली में हाल के दिनों में लोगों की मौतों की रिपोर्ट से दुखी हैं. उन्होंने संयम बरतने और हिंसा से परहेज़ करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि महासचिव गुटेरेश के लिए महात्मा गांधी प्रेरणा के स्रोत हैं और मौजूदा समय में महात्मा गांधी की मूल भावना की पहले से कहीं ज्यादा ज़रूरत है ताकि सामुदायिक मेलमिलाप के लिए परिस्थितियों का निर्माण हो सके.

भारत सरकार द्वारा कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में निष्प्रभावी किए जाने के फ़ैसले के बाद पैदा हुए तनावपूर्ण हालात के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने मानवाधिकार परिषद को जम्मू और कश्मीर में ताज़ा हालात से भी अवगत कराया.

उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में कुछ राजनैतिक नेताओं को रिहा किया गया है और हालात कुछ मायनों में सामान्य हो रहे हैं. लेकिन लगभग 800 लोगों को अब भी हिरासत में रखा गया है, जिनमें कई राजनैतिक नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं. भारी संख्या में सैन्य बलों की मौजूदगी से स्कूलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है और अत्यधिक बल प्रयोग तथा सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के गंभीर हनन के आरोपों की जांच के लिए कोई क़दम नहीं उठाया गया है. भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फ़ैसले के बाद राज्य में आंशिक रूप से मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया है. लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर थोपी गई पाबंदियों को अब भी जारी रखा गया है. ❑

यूएन मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सीएए पर हस्तक्षेप की मांग की

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नागरिकता संशोधन क़ानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है.

इंटरवेंशन (हस्तक्षेप) याचिका के तौर पर दाखिल किए गये इस आवेदन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बाशेलेट जेरिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें बतौर एमिकस क्यूरे (अदालत के मित्र) सुनवाई में शामिल होने की मंज़ूरी दी जाए. मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन क़ानून की धारा 2 से 6 की संवैधानिकता पर विचार कर रहा है. ये मामला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून और प्रवासियों तथा शरणार्थियों पर इसके लागू होने के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है.

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं की किस तरह से व्याख्या की जाती है और उसका क्या असर होगा, इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की इस मामले में दिलचस्पी अहम है. उनका मानना है कि इसमें क़ानून के समक्ष बराबरी और भेदभाव पर प्रतिबंध भी शामिल है और ये भी देखा जाना चाहिए कि भारत में प्रवासियों और शरणार्थियों के मानवाधिकार की सुरक्षा पर नागरिकता संशोधन क़ानून का क्या असर पड़ेगा. मानवाधिकार को लेकर मुख्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर ख़ास ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, जिस पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी एक है. इन समझौतों में 'इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स' और 'द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकॉनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स' जैसे समझौते शामिल हैं.

नागरिकता संशोधन क़ानून मानवाधिकार के अन्य अहम मुद्दे भी उठाता है. मानवाधिकार को लेकर भारत की जो प्रतिबद्धताएं हैं, उनके तहत राष्ट्रीयता के नाम पर भेदभाव न करना और क़ानून के समक्ष बराबरी की बात भी आती है. सभी प्रवासी, चाहे वे किसी भी नस्ल या धर्म या राष्ट्रीयता के हों या फिर उनका प्रवास वैध हो या अवैध, मानवाधिकार रखते हैं और उन्हें सुरक्षा का हक़ हासिल है. भेदभाव पर रोक, क़ानून के समक्ष बराबरी और बिना भेदभाव के क़ानून की समान सुरक्षा का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और क़ानून के शासन की बुनियाद का हिस्सा है. इन सिद्धांतों के अनुसार सभी देशों की ये जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक जगहों से लेकर किसी के प्राइवेट क्षेत्र में भेदभाव का उन्मूलन करें.

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून नागरिकों और ग़ैरनागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता है और न ही ग़ैरनागरिकों के अलग-अलग समूहों के बीच कोई देश किसी व्यक्ति की क़ानूनी स्थिति को लेकर भेदभाव कर सकता है.

–बीबीसी

दिल्ली हिंसा में ख़ाक हुई ज़िन्दगी

(आंखों देखी रिपोर्ट)

❑ **मनीषा पाण्डेय**

23 फरवरी की रात से ये जलजला शुरू हुआ. 24 से खबरें आने लगीं, 25 से मौतों की गिनती शुरू हुई और अब तक नहीं रुकी है. आज आठवां दिन है और मैं इस देश की राजधानी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हूं, जो पिछले दिनों जल उठा था. आगे भागीरथी विहार के नाला रोड वाली पुलिया तक पहुंचते-पहुंचते सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. धुएं की महक अब भी हवा में है. इस इलाके के बीचोबीच तकरीबन एक किलोमीटर लंबा नाला है, जिसके चारों ओर करावल नगर, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, गोकुलपुरी, भागीरथी विहार, चमन पार्क, शिव विहार, चांदबाग और बृजपुरी इलाके हैं. नालों के दोनों ओर बसी छोटी, संकरी गलियों वाली इन बस्तियों को जोड़ने के लिए दसियों पुलियां हैं, जिनके किनारे जगह-जगह डंपिंग यार्ड हैं. कूड़े के ढेर पर चील-कौए मंडरा रहे हैं. चारों ओर बदहवासी का आलम है. करावल नगर की सड़क पर एक ट्रक में कुछ लोग दूध-बिस्किट बांटने के लिए आए हैं. औरतें, बच्चे, बूढ़े, मर्द सब उस ट्रक पर टूट पड़े हैं. सबको एक पैकेट दूध मिलेगा. नारंगी रंग का टेरीकॉट का सूट पहने एक 10 साल की लड़की दूध का पैकेट लेकर भीड़ में से निकल रही है. मैं उसका नाम पूछती हूं. वह मुझे दहशत से देखती है. जवाब नहीं देती. उसने दूध का पैकेट कसकर दोनों हाथों से पकड़ रखा है.

ऐसे ही कसकर पकड़ रखा था 35 बरस की मुमताज ने मेरा हाथ, जब वह मुझे शिव विहार में अपना घर दिखाने ले जा रही थीं. नाले वाली पुलिया के इस ओर चमन पार्क था और उस ओर शिव विहार. पुलिया पर पुलिस बैरिकेड लगे थे और नीली वर्दी में आरएएफ के जवान तैनात थे. इस पार लोगों ने हमें रोका, 'उधर खतरा है.' एक अंग्रेजीदां पत्रकार ने नफीस अंग्रेजी में समझाया, 'इट्स नॉट सेफ.' मुमताज ने कहा, 'मैं आपको ले चलूंगी.' हम गली से निकले और पुलिया की तरफ बढ़ने लगे. जैसे जानमाज़ पर झुकी औरतें दुपट्टे में खुद को लपेट लेती हैं, मैंने अपनी शॉल को सीने पर वैसे ही लपेट लिया, मानो वह कोई बुलेट प्रूफ जैकेट हो. हम मदीना मस्जिद के पास शिव विहार की 14 नंबर गली की तरफ बढ़ने लगे. चमन पार्क की पुलिया के दोनों ओर जैसे दो अलग दुनिया थी. इस पार गलियों में इतनी भीड़ थी कि बिना टकराए एक कदम चलना मुश्किल था और पुलिया के उस पार ऐसा सन्नाटा, जैसे कब्रिस्तान. नीली वर्दी वाले जवानों के अलावा दूर-दूर तक इंसान का नामोनिशान नहीं. एक गली में कुछ दूर दो आदमी दिखे, तो मुमताज के पैर ठिठक गए. उन्होंने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया. उनके दिल की तेज धड़कन मुझे अपनी हथेलियों में महसूस हो रही थी. बोलीं, 'ये लोग मार डालेंगे.' मैंने कहा, 'कुछ नहीं होगा. आप डरिए मत.' वो बोलीं, 'आपको नहीं होगा. आप हिंदू हो.' मेरे पास कोई जवाब नहीं था.

हम मुश्किल से 100 कदम चले होंगे कि आंखों का मंज़र बदल गया. यहां तक तो ये प्लास्टर झरी दीवारों वाली, सटे-सटे मुर्गी के दड़बों जैसे मामूली घरों वाली, जगह-जगह ठहरे पानी और जमी गंदगी वाली गली थी, लेकिन अब ये आग, धुंआ, पथराव, हिंसा और मौत वाली गली बन गई. जहां तक नज़र जाती, सब काला दिखाई देता. गली के दोनों ओर जले हुए मकान थे. साइकिल, मोटरसाइकिल, ठेले जलकर राख हो चुके थे. सड़कों पर पत्थर, कांच, सरिए और लोहे के टुकड़े बिखरे पड़े थे. कुत्ते कोनों में डरे हुए दुबके बैठे थे. छोटी-छोटी दुकानें थीं, जिनके शटर खुले थे, जिन्हें लूट लिया गया था, जला दिया गया था. एक जला हुआ हेयर कटिंग सलून था, जहां अब सिर्फ अधजली कुर्सी पड़ी थी. एक जली हुई परचून की दुकान थी, जिसके टीन के कनस्टरों से अब भी तेल बह रहा था. शाइन स्टूडियो का एक चमकीला पोस्टर सही सलामत था. लिखा था, 'हमारे यहां शादी, पार्टी, जन्मदिन, प्रीवेडिंग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाती है.' दुकान जलकर खाक हो चुकी थी. गलियों में बिलकुल सन्नाटा था. घरों की दीवारें काली पड़ी थीं, सामान राख हुआ पड़ा था. जो घर सही-सलामत थे, उनके ताले टूटे हुए थे, घर लूटे जा चुके थे. सब लोग घर छोड़कर जा चुके थे.

जिस रात ये कहर बरपा, जिसे जहां जगह मिली, जान बचाकर भागा. चमन पार्क के सलीम मुहम्मद बताते हैं कि आधी रात में शिव विहार से रोती-चीखती भीड़ पुलिया के इस पार जान बचाकर भागी. औरतों के पैरों में चप्पल नहीं थी, सिर पर दुपट्टा नहीं था. छोटे-छोटे बच्चे नंगे पांव भागे आ रहे थे. अपनी जिंदगी भर की कमाई, जमा पूंजी, अपना घर पीछे छोड़कर. जब पूरा शिव विहार आग की लपटों में घिरा था, लोगों ने सिर्फ अपनी जान बचाने की सोची.

उसी रात तकरीबन 3 बजे मुमताज भी नंगे पांव अपनी दो बेटियों और शौहर के साथ जान बचाकर भागीं. आज सात दिन बाद वो उस गली में वापस लौटी थीं. गली के मुहाने पर एक जली हुई कार और ठेला खड़ा था. हम राख, पत्थरों, सरियों और कांच के टुकड़ों के बीच से जगह बनाते पहली मंजिल पर बने उनके एक कमरे के उस घर में पहुंचे, जहां सामान के नाम पर सिर्फ लोहे के तीन ट्रंक, एक जला हुआ गैस का चूल्हा और कुछ बर्तन ही बचे थे, जिन पर कालिख की मोटी पर्त जम गई थी.

सिलाई मशीन का जला हुआ स्टैंड पड़ा था. इसी मशीन पर वो और उनके पति रैग्जीन के बैग सिलते थे. महीने के 10-12000 कमा लेते थे. उन्हीं पैसों में से मुमताज कुछ-कुछ बचाकर एक बैग में छिपाकर रखती थीं कि कभी गाढ़े वक्त में, बेटियों के ब्याह में काम आएगा. सब जल गया. मुमताज काफी देर तक अपनी खाक हो चुकी गृहस्थी को देखकर रोती हैं. बार-बार दुपट्टे के कोर से आंखें पोंछती हैं. 25 तारीख की रात से देह पर वही दुपट्टा पड़ा है, जो लपेटकर घर से भागी थीं. वो एक-एक कोने की ओर इशारा करतीं हैं, यहां मेरी आलमारी थी. अभी छह महीने पहले ही खरीदी थी. यहां बिस्तर था. 15 सालों में एक-एक

पाई जोड़कर एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदी थी. स्कूटी आने से माल लाने और बने हुए बैग पहुंचाने का काम आसान हो गया था. मुमताज नीचे झांककर देखती हैं. स्कूटी गायब है. पता नहीं, जल गई या कोई उठा ले गया. अचानक उन्हें याद आता है, मेरे हिसाब की कॉपी भी जल गई. कितने बैग सिले, कितने के पैसे मिले, उसका हिसाब आठवीं पास मुमताज रोज एक कॉपी में दर्ज कर लेती थीं. कॉपी जल गई. हिसाब नहीं तो पैसे भी नहीं. वो काफी देर चुप रहती हैं. रह-रहकर मानो कुछ याद आता है, फिर बड़बड़ाने लगती हैं. 'मैडम जी, ये बड़े-बड़े शोले उठ रहे थे. सारे घर जल रहे थे. दूर से जयश्रीराम, जयश्रीराम की आवाजें आ रही थीं. हम तो बस जान बचाकर भागे.'

जिस घर को बनाने में पूरी उमर निकल गई, उसे राख होने में चंद घंटे भी नहीं लगे. एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदने के लिए 15 साल पैसे जमा किए, अब फिर से जिंदगी शुरू करने में और कितने साल लगेंगे.

मुमताज अब लौटने के लिए बेचैन हो रही हैं. मैं शौहर को बिना बताए आपके साथ चली आई. वो एक आखिरी बार नजर भरकर अपने जले हुए घर को देखती हैं और फिर ऐसे नजरें फेर लेती हैं, जैसे कोई कब्र से उठकर घर को जाता है. लेकिन मुमताज तो घर को भी नहीं जा रही. घर ही कब्र हो गया. घर अब कहीं नहीं है.

हम चमन बाग के पीछे इंदिरा विहार की उस गली में लौट आए हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में बेघर लोगों ने सलामत बच गए घरों में शरण ली है. फुरकान मलिक के घर कैफ मंजिल में बीसियों औरतें, बच्चे और मर्द जमा हैं. जिन कपड़ों में घर से निकले थे, आज तक वही पहने हुए हैं. कभी कोई एनजीओ वाला खाना बांटने आ जाता है तो कभी कोई दवाई. बच्चे कोनों में सहमे बैठे हैं. औरतें एक-दूसरे को अपनी तबाही की कहानियां सुनाती हैं और गले लगकर रोती हैं.

24 साल की रेहाना भी दो साल की बेटी को लेकर 25 की रात शिव विहार से भागकर इंदिरा विहार अपनी अम्मी के घर आई. उसका घर जला नहीं था. निकलते हुए रेहाना ने सब दरवाजों पर ताला लगाया था. चार दिन गुजरे. दिन-रात तस्बीह हाथ में लिए कुरान शरीफ पर झुकी रेहाना ने खुदा का शुक्र मनाया कि उसका घर जलने से बच गया. लेकिन रविवार की रात जब उसके पति शाहने आलम वहां पहुंचे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था. सारा सामान गायब था. गहने, कपड़े, नकदी, टीवी कुछ भी नहीं बचा था. रेहाना की मां रोने लगती हैं. जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर बेटी का ब्याह किया था. सब सामान दिया कि उसे किसी चीज की कमी न हो. आज वो घर खाली पड़ा है. जो लूट सकते थे लूट लिया, जो नहीं लूटा, वो तबाह कर दिया. और ये सब हुआ दंगों के पांच दिन बाद, जब पूरी पुलिस और आरएएफ फोर्स ने शिव विहार को सील कर रखा है. लूटने वाले कोई और नहीं, वो हिंदू पड़ोसी हैं, जिनके बच्चों के साथ उनके बच्चे स्कूल जाते थे, जिनके बेटे घर में किसी के मरने पर जनाज़े को कंधा देते थे. जो हंसी-ठिठोली से लेकर दुख-तकलीफ में मदद के लिए एक-दूसरे का दरवाजा खटखटाते थे. वही थे, जिनके दिलों में इतना जहर घोला गया कि पड़ोसी का घर जलता देख, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए. जिन्होंने जलने से बचे रह गए अपने पड़ोसियों के घर लूट लिए. दसवीं पास शाहने आलम ग्रोफर्स में डिलीवरी का काम करते हैं. दस हजार रुपये तनख्वाह है. दंगों की रात से काम पर नहीं जा पाए. अब तनख्वाह कटेगी.

भागीरथी विहार के मेन नाला रोड के किनारे कुल 19 घर जलकर राख हुए हैं. ये 24 तारीख की शाम का वाकया है. 25 साल की तंजीम फातिमा खाना बना रही थी. अचानक लगा, दूर कहीं शोर हो रहा है. उसने खिड़की से झांककर देखा, तकरीबन 50-60 लोग हाथों में बड़े-बडे सरिए, बंदूक, लोहे की रॉड और बोतलों जैसा कुछ लिए बढ़े आ रहे थे. शोर धीरे-धीरे नजदीक आता जा रहा था. तभी घर के शीशे पर एक पत्थर आकर लगा. फिर दनादन पत्थरों की बरसात होने लगी. चार गली दूर रहने वाले तंजीम के भाई अख़्तर रज़ा उसे बचाने आए. तंजीम अपने 10 महीने के बेटे को लेकर नंगे पांव सीढ़ियों से भागी. उसके पेट में तीन महीने का बच्चा था. नीचे 30-40 लोगों ने घेर लिया. बस वो बच गई उस दिन. ये कहते हुए वह फफक पड़ती है. घर की बाकी औरतें उसे चुप कराती हैं, 'पेट के बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा. अब सब ठीक है.' 26 साल की गुलशन कहती हैं, 'उस दिन भाई वक्त पर न आते तो ये वहीं जलकर मर जाती.' गुलशन के पांच साल के बेटे आहिल को आंख में चोट लगी है. वो खिड़की के पास खेल रहा था, जब अचानक पत्थर आया और खिड़की का कांच टूटकर बच्चे की आंख में चुभ गया. गुलशन की 7 साल की बेटी रिमशा इतने सदमे में है कि रो भी नहीं पा रही. यहां कोई बच्चा रो नहीं रहा है. वह आपकी ओर दहशत से देख रहा है.

तंजीम, गुलशन सब उस शाम किसी तरह जान बचाकर भागे और पीछे से उनके घर पहले लूटे और फिर जला दिए गए. जिनके पास कहीं जाने को नहीं था, उनकी लाशें अगले दिन सड़क पर पड़ी मिलीं. तंजीम और उसके पति ज़ुल्फ़िकार के पड़ोसी का घर जलकर ख़ाक हो चुका है. रहने वालों का अब तक कोई पता नहीं. इस गली में हर तीसरा घर जला हुआ है. सामने के नाले से रोज दो-तीन लाशें निकलती हैं. कोई नाले में घुसकर लाशें ढूंढ नहीं रहा. जो फूलकर ऊपर आ जा रही हैं, वही निकाली जा रही हैं. पता नहीं कितनी और अभी अंदर पड़ी होंगी.

तंजीम की रिश्तेदार और पेशे से पत्रकार फ़रहा फ़ातिमा की कॉलोनी नूर-ए-इलाही में 23 की रात से दहशत का माहौल था. घर के मर्द पूरी रात गली के सब छोरों पर पहरा दे रहे थे. औरतें पूरी-पूरी रात घरों में अकेली रहतीं. बाहर से शोर आता. वे डरकर रोने लगतीं. चीखती हुई भागकर झज्जों पर जातीं. गली के बाहर से जय श्री राम की आवाजें आतीं. जवाब में गली में पहरा दे रहे मर्द नारा-ए-तक़बीर कहते. गली में भगदड़ मचती. भागते हुए मर्दों से औरतें अपने-अपने मर्दों का नाम लेकर पूछतीं, 'वो हैं न. वो ठीक तो हैं.' कोई जवाब न मिलने की सूरत में लौटकर कमरों में आतीं और फिर जानमाज़ पर झुक जातीं. पूरी रात दुआएं करतीं. 25 की रात जब फ़रहा के शौहर रहबर जाने लगे तो फ़रहा ने उनके बाजू पर बांधने के लिए इमाम जामिन बनाई, जिसका मतलब था कि अब तुम्हें खुदा के हवाले किया. अब वही तुम्हारी हिफाजत करेगा. उस दिन उसकी शादी की दूसरी सालगिरह थी. कहते हुए फ़रहा की आवाज रुंध जाती है. दो महीने के बच्चे को गोद में लिए वह चार रातों से सोई नहीं है.

सोई तो पिछली 7 रातों से इमराना भी

नहीं है. 20 दिन पहले ही उसने एक बेटी को जन्म दिया था. शौहर ने बड़े प्यार से बिटिया का नाम रखा- इनाया फ़ातिमा. बड़ी मुश्किल से पैदा हुई थी. जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा था, बच्चे को बचाना मुश्किल है. लेकिन बच्ची फौलाद की बनी थी. मौत से लड़कर जिंदा दुनिया में आई, और उसके जन्म के सिर्फ 20 दिन बाद 24 की सुबह जो उसके अब्बू मुदस्सर ख़ान काम पर गए, तो फिर कभी नहीं लौटे. दो दिन बाद उनकी लाश आई. सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी थी. इमराना की जबान को जैसे लकवा मार गया है. उसका हाथ पकड़ लो, उसे गले लगा लो, लेकिन वह एक शब्द नहीं कहती. सिर्फ रोती है.

ऐसे कितने हैं यहां, जो घर से निकले तो जिंदा थे, लेकिन लौटे तो लाश बनकर. 22 साल की फ़रजाना का पति भी उस दिन काम पर जाने के लिए ही निकला था. उसकी तीन महीने की बच्ची पिछली पूरी रात रोती रही थी. सुबह जाते वक्त फ़रजाना ने सलीम को कागज का एक पर्चा दिया, जिस पर अंग्रेजी में दवाई का नाम लिखा था. चार दिन बीत गए. न दवा आई, न सलीम. चार दिन बाद भागीरथी विहार के नाले से उसकी लाश निकली.

अब तक 20 लाशें निकल चुकी हैं. एक मार्च को दोपहर दो बजे एक लाश मेरे सामने निकल रही थी. मैंने रिकॉर्ड करना चाहा तो पुलिस ने मना कर दिया. पुलिस ने तो उस वक्त आने से भी मना कर दिया था, जब लोग डरे हुए बदहवास 100 नंबर पर फोन लगाए जा रहे थे. अख़्तर रज़ा ने 80 बार 100 नंबर पर फोन किया. उसी नाला रोड पर रहने वाली 24 साल की नूरिश कहती हैं, '100 नंबर पर फोन किया तो पुलिस ने कहा, अब ले लो आजादी. हम गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमें बचाने कोई नहीं आया.'

65 साल की तबस्सुम बेगम ने दंगों की कहानियां पहले भी सुनी थीं. बचपन में दादा और अब्बू से सन् 47 के किस्से भी. कैसी आग लगी थी. अंग्रेजों ने दो मुल्क कर दिया था. मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए. हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं गए. गांधीजी को किसी ने गोली मार दी थी. उनके फूल आए थे. मेरे अब्बू ने देखा था. हम तो पैदा भी नहीं हुए थे. 14 बरस में ब्याहकर तबस्सुम बिहार से दिल्ली आईं. पति मिस्त्री का काम करते थे. हिंदू पड़ोसी का घर बन रहा था तो मुसलमान पड़ोसी ने ही ईंटा-गारा जोड़ा था. 10 बरस पहले तबस्सुम का बेटा हैज़े से मरा तो हिंदू पड़ोसी ही आधी रात अस्पताल लेकर भागे. हिन्दू बहू की जचगी घर में हो रही थी. बच्चा पेट में उलट गया तो जल्दी में तबस्सुम को ही तलब किया गया. बूढ़ी अम्मा ने जाने कितनी जचगियां कराई थीं. पेट देखकर बता देतीं कि लड़का होगा या लड़की.

ये हिंदू-मुसलमान, दंगा-फसाद अब तक उनके लिए दूर देस के अफसाने थे. जाने कब ये हुआ कि वह खुद उस अफसाने की किरदार बन गईं. उनका बेटा इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. पेट में सरिया घुसाया था उसके. किसने, वो नहीं जानतीं. जिंदगी की इस दहलीज पर आकर वह दूर देस की कहानी उनकी अपनी कहानी हो गई है. कहानियां तो इतनी हैं कि सुनाते हुए तबस्सुम की बाकी उम्र कट जाए. लेकिन वो एक रात में दस बरस बूढ़ी हो गई हैं. बोला नहीं जा रहा है. मैं ज्यादा इसरार भी नहीं करती कि मुझे और बताओ.

फरवरी, 2020 में दिल्ली के इन दंगों में अपना घर, अपनी जिंदगी गंवाने वाले सारे लोग अचानक उस दूर देस के अफसानों का हिस्सा बन गए हैं. लोग धर्म पूछकर, जांचकर मार देते हैं. उन्होंने सुना था, सोचा नहीं था कि एक दिन खुद ऐसे मारे जाएंगे. जिंदगी पहले भी कोई फूलों की राह नहीं थी. गरीबी थी बहुत सारी, घर में हर साल पैदा होते और मरते हुए बच्चे थे. बीमारी थी, अस्पताल की लंबी लाइनें थीं, मालिक की फटकार थी. साल-दर-साल एक-एक पैसे जोड़कर जुटाई गई गृहस्थी थी. खिड़की के सामने गंदा नाला था, जहां चमकीली राजधानी की सारी गंदगी आकर जमा होती थी.अपना घर और जान गंवाने वाले ये सब ऐसे ही लोग हैं. कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई छोटी-छोटी फैक्ट्रियों में डेली वेज वर्कर है, कोई मोटरसाइकिल का पंचर बनाता है, कोई रेहड़ी लगाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो कोई प्लंबर, दर्जी, मिस्त्री, कारीगर. किसी के बैंक अकाउंट में इतने भी पैसे नहीं कि दो जोड़ी नए कपड़े ही ले आए. सात दिन से उन्हीं कपड़ों में हैं. यही हैं वो लोग, जिन्हें दंगों में निशाना बनाया गया है, जो हिंदुत्व के लिए खतरा हैं. इनके घर जलाकर, रोजगार छीनकर, इन्हें काटकर, नाले में फेंककर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने का अपना सपना साकार करने वाला है.

बृजपुरी के मोड़ पर एक पतली सी गली में जुम्मन शेख एक टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं. उनके चेहरे पर उम्र से ज्यादा झुर्रियां हैं. तस्बीह पर हाथ फेरते हुए उनकी उंगलियां कांप रही हैं. उनकी पथराई आंखों में नफरत नहीं है. दुख और बेबसी है. उनका 32 साल का बेटा दंगे में मारा गया. घर में इकलौता कमाने वाला था. पीछे अपनी बीवी और चार बेटियां छोड़ गया है. वे 20 साल के थे, जब बीवी कौसर जहां और बेटे को लेकर दिल्ली आए थे. आज 48 साल बाद मुरादाबाद के पास अपने गांव वापस जा रहे हैं. ये शहर उन्हें रास नहीं आया. ❑

चंदन पाल को सेवा सम्मान

बा-बापू-150 के अवसर पर गुजरात विद्यापीठ एवं गांधियन सोसाइटी, यूएसए की तरफ से गांधी विचार प्रसार और सेवा के काम के लिए सर्व सेवा संघ के महामंत्री चंदन पाल को 29 फरवरी 2020 को गुजरात विद्यापीठ में आयोजित एक सभा में सम्मानित किया गया। गुजरात विद्यापीठ की कुलपति सुश्री इलाबहन भट्ट कार्यक्रम में उपस्थित थीं। सम्प्रति दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति और सद्भावना की स्थापना के काम में व्यस्त रहने के कारण चंदन पाल स्वयं पुरस्कार लेने के लिए उपस्थित नहीं हो सके। पुरस्कार का मानपत्र, चेक, शॉल तथा कई किताबें आयोजकों द्वारा उनके घर पर पहुंचायी गयीं।

–स. ज. प्रतिनिधि

साक्षात्कार

दिल्ली हिंसा के दौरान संदिग्ध थी पुलिस की भूमिका

❑ प्रकाश सिंह

दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 45 लोगों की मौत हुई तथा 300 से अधिक लोग घायल हुए. इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही.हमला, आगजनी, लूटपाट जैसी घटनाएं हुईं और लोगों के शव नालों में मिले. अस्पतालों में कोहराम मचा और अपनों का शव लेने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा. दिल्ली पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवालों पर प्रस्तुत है सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह से एक बातचीत। –सं.

दिल्ली के हालिया दंगों में पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?

पुलिस की भूमिका निराशाजनक रही है. उसके कारणों के बारे में अभी तो साफ-साफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पर एक गंभीर स्थिति का सामना करते हुए नेतृत्व को जो फैसला लेना चाहिए था, वे नहीं ले पा रहे थे. नेतृत्व में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव दिखा. बाद में थोड़ी सख्ती दिखाई गई और शूट एंड साइट का आदेश दिए जाने के बाद हालात में थोड़ा सुधार हुआ. मुख्य रूप से यही देखने में आ रहा है कि नेतृत्व का अभाव था और सख्त कार्रवाई करने में कुछ संकोच था. इसमें गृह मंत्रालय की क्या भूमिका थी, यह कहना मुश्किल है. गृह मंत्रालय से कोई निर्देश था या नहीं था, यह तो पता नहीं. लेकिन हालात बिगड़ने के बाद जिम्मेदारी तो सभी की बनती है. उपराज्यपाल की भी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की और जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री को बाहर निकलना चाहिए था, लोगों को समझाना चाहिए था. कहीं कोई नेता बाहर नहीं दिख रहा था, केवल पुलिस और दंगाई दिखाई दे रहे थे. क्या राजनीतिक नेता केवल वोट मांगने के लिए हैं और हालात बिगड़ने पर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? केंद्र सरकार, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री सभी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर नहीं आई.

दिल्ली में छुटपुट हिंसा से शुरुआत हुई और धीरे-धीरे उसने दंगे का रूप ले लिया, ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी? और ऐसा न करने की क्या वजह हो सकती है?

यह सीधी-सी बात है कि जब कहीं स्थिति बिगड़ने का संकेत मिलता है या प्रभाव भी दिखता है तो उसी समय उसे दबा दीजिए. गिरफ्तारी कीजिए, अमन कमेटी बनाइए, गश्त लगाइए, छानबीन करिए, जब्ती कीजिए, यह सब होता है लेकिन जब आग लगी है, तब आप कुछ नहीं कर रहे हैं और जब आग धधक उठी, तब आप कह रहे हैं कि अब यह कंट्रोल में नहीं आ रही है. शुरू में निष्क्रिय बन रहे, अब उनसे यह पूछा जाना

चाहिए कि उन्होंने निष्क्रियता क्यों दिखाई, क्यों उनको लकवा मार गया था?

दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले जामिया हिंसा और जेएनयू हिंसा मामले में भी उनकी भूमिका सवालिया थी और उन पर तमाम तरह के आरोप लगे. क्या वजह है?

यह सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि आप में इतनी निष्क्रियता क्यों आ गई है, लकवा क्यों मार गया? कोई आपका हाथ बांधे है या कोई कार्रवाई करने से रोक रहा है? अगर वे इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो दोष उन्हीं पर जाएगा.

विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक का कार्यकाल बढ़ाया गया था, लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही एक नए विशेष आयुक्त एसएन श्रीवास्तव की नियुक्ति कर दी गई है. क्या सरकार ने मान लिया कि पटनायक परिस्थिति को संभालने में नाकाम रहे?

सरकार ने अमूल्य पटनायक की नाकामी मानने के साथ ही उनके उत्तराधिकारी की घोषणा भी कर दी और कह दिया कि आप काम शुरू कर दो, क्योंकि कुछ ही दिनों की बात है. मैं श्रीवास्तव के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन लगता है कि सरकार को किसी सख्त अधिकारी की जरूरत थी और उसने फैसला ले लिया.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के दंगा प्रभावित इलाकों में खुद सड़क पर उतरने को किस तरह देखते हैं?

यह एनएसए का काम नहीं है. यह नेताओं या पुलिस का काम है. अगर इसके लिए एनएसए को उतरना पड़े, तो मुझे तो नागवार गुजरता है क्योंकि आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं या मोहल्ला सुरक्षा सलाहकार हैं? आप का काम तो यह है कि जो काम न करे, उससे जाकर काम करवाओ, धक्का देकर काम करवाओ, कमिश्नर और पुलिस को मोहल्लों में भेजो और लोगों से बात करने के लिए कहो. (द वायर)

महत्त्वपूर्ण सूचना

सर्व सेवा संघ का अधिवेशन स्थगित

केरल राज्य सरकार द्वारा जारी एक सूचना के मुताबिक केरल मंत्रिमंडल की एक बैठक में राज्य में फैले कोरोना वायरस के खतरे के कारण इस वर्ष 31 मार्च तक पूरे केरल में सार्वजनिक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले सभी तरह के कार्यक्रमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है। इस बात की जानकारी केरल सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष द्वारा मिली है।

ऐसी स्थिति में आगामी 30-31 मार्च 2020 को कोट्टयम, केरल में आयोजित होने वाले सर्व सेवा संघ के 88वें अधिवेशन का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। अगली तिथि निश्चित होने पर आप सभी को उचित माध्यमों द्वारा सूचना दी जायेगी। तदनुसार आप सभी अपना यात्रा टिकट निरस्त करा लें।

महादेव विद्रोही
अध्यक्ष

चंदन पाल
महामंत्री

धारावाहिक

बा का महाप्रयाण

❑ गिरिराज किशोर

पहला गिरमिटिया जैसा चर्चित उपन्यास प्रस्तुत कर चुके गिरिराज किशोर ने जब बा पर कलम उठायी, तो बा पर कुछ भी लिखना बहुत कठिन था। उनके बारे में उपलब्ध जानकारियां नहीं के बराबर थीं। 'पहला गिरमिटिया' की सामग्री जुटाने में उन्हें कोई दो हजार पुस्तकों से मदद मिली थी, वहीं 'बा' उपन्यास लिखते समय मुश्किल से दो पुस्तकें उनके सामने थीं। वे उन सब लोगों से मिले, जिन्हें कस्तूरबा के बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी थी और उन सब जगहों पर गये, जहां बा ने थोड़ा या बहुत समय बिताया था। इस तरह बनी यह कथा, यह इतिहास बा के अलावा खुद बापू के दो और रूपों को भी सामने रखता है–पति और पिता का रूप। प्रस्तुत है 'बा' का अगला अंश, जो बा-बापू : 150 के अवसर पर क्रमशः प्रकाशित हो रहा है। –सं.

बा ने सुबह से खाना नहीं खाया था। तबीयत अच्छी लगी। सब साथ खाना खाने बैठे। गिल्डर ने सुशीला को बताया, 'बापू को पहले पता नहीं था कि पेन्सिलिन के कई इंजेक्शन लगेंगे। जब पता चला तो उन्होंने मना कर दिया। अपने आत्मीय के संदर्भ में ऐसा निर्णय ले लेना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता!' सुशीला तो बीच में फंसी थी, क्या बोलती। सरकार ने हवाई जहाज से कलकत्ता से पेन्सिलिन मंगाई थी। सरकार नहीं चाहती थी कि उस पर बा के इलाज में लापरवाही का आरोप लगे।

बापू ने देवदास को समझाया, 'तू ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं करता? तू कैसी भी चमत्कारी दवा क्यों न ले आये, तू अपनी बा को चंगा नहीं कर सकता। तू आग्रह करेगा तो मैं अपनी बात छोड़ दूंगा, लेकिन तेरा आग्रह बिल्कुल निराधार है। इन दो दिनों में उसने दवा या पानी लेने से इनकार कर दिया है। अब तो ईश्वर के हाथ में है। तेरी इच्छा हो तो उसमें दखल दे। लेकिन जो रास्ता तूने चुना है, मेरी सलाह है कि तू उस रास्ते पर मत जा। याद रख, हर चार घंटे बाद इंजेक्शन दिलाकर तू अपनी मरती हुई बा को शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का काम करेगा।' उसके बाद तर्क की गुंजाइश नहीं बची थी। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। बापू प्रति दिन सवा छह बजे सैर करने जाते थे। उस दिन बातचीत में सवा सात बज गये। बापू तैयार होने के लिए जैसे ही गुसलखाने में आये, बा ने पुकारा, 'बापू जी!'

प्रभावती जी पास बैठी थीं, तुरंत बापू को बुलवाया। वे आकर बा के पास बैठ गये। बा की बेचैनी बढ़ गयी थी। दो बार उठकर बैठी, फिर लेट गयी। बापू ने पूछा, 'क्या बात है, कैसा लग रहा है?'

किसी नई जगह को देखकर भ्रमित बच्चे की तरह कुछ तुतलाते हुए बा ने कहा, 'कुछ समझ नहीं आ रहा, कहां हूं।'

नाड़ी उस समय मद्धिम चल रही थी। ऐसा अक्सर हो जाता था। बापू ने मनु को फोटो लेने के लिए क्यों मना कर दिया था, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। ये स्मृतियां शायद बापू के लिए बहुत पवित्र थीं। इन्हें वे अपने अंदर ही रखना चाहते थे।

तभी बा के भाई माधवदास आ गये। बा ने भाई को बहुत दिन बाद देखा था, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर बोल नहीं पायी। नहीं मालूम, मिलने का सुख था या कुछ न कह पाने का दुःख। बा ने एक बार फिर उठना चाहा पर बापू ने सहारे से लिटा दिया। सिर सहलाते हुए कहा, 'उठो नहीं, लेटी रहो।' बा ने बापू की गोदी में सिर डाल दिया, जैसे वही विराम-स्थली हो।

बापू जी ने बा के सिर के नीचे से तकिया हटा दिया। खाट को सीधा कर दिया। मीराबेन ने खाट की दिशा उत्तर दक्षिण कर दी। बापू ने हंसकर कहा, 'तू भले ही लंदन में जन्मी हो, तेरी आत्मा भारतीय है।' बापू ने दोनों हाथ फैलाकर बा को शवासन पर लिटा दिया। बापू ने पहले से ही सबको बारी-बारी से ब्यालू के लिए भेज दिया था। सामान्य जेलों में खाने का समय शाम को छह बजे होता है। इस मामले में, आगा खां पैलेस जेल विशेष होते हुए भी, सामान्य ही था।

उस दिन सांझ एकाएक उतर आयी थी। अंधेरा भी काली चादर की तरह फैलता जा रहा था। बापू ने अपनी घड़ी निकालकर देखा, साढ़े सात बज चुके थे। जब सब लोग दोबारा इकट्ठे हुए तो बा के गले से विचित्र आवाज आ रही थी। देवदास बा के पांयते खड़ा एकटक निहार रहा था। सबसे छोटा बेटा...! बा की गर्दन एक तरफ को ढुलक गयी। देवदास बच्चों की तरह पांवों में सिर रखकर बा...बा...पुकारते हुए फूट-फूटकर रो पड़ा। बापू की आंखों के कोरों से दो बूंट टपकीं। पता नहीं बा की विदाई थी या छोटे बेटे की तड़पन की शांत प्रतिध्वनि। बापू ने एक बार पूछा था कि बा किसकी गोद में देह का परित्याग करेगी? यह सौभाग्य किसका होगा? सुशीला को बापू के वे शब्द याद आ गये। वह स्वयं से ही बोली, 'वह गोद बाबू के सिवाय किसकी हो सकती है?' उसकी आंखें डबडबा आयीं।

बापू अपने आसन से उठे। देवदास के पास गये, रुके, कंधे पर हाथ रखा। सबको कमरा खाली करने का संकेत किया। एक-एक कर सब आंखें पोंछते हुए बाहर चले गये। कुछ ही देर पहले जब बोल सकती थी तो बा ने कहा था, 'मैं जाती हूं, जाना है तो आज ही क्यों न जाऊं?' देवदास के कानों में वे शब्द जीवित होकर उछले, फिर बैठते चले गये।

बा को नीचे उतार लिया गया। सुशीला, संतोकबेन और मनु ने अंतिम स्नान कराया।

स्नान कराती जा रही थीं और रोती जा रही थीं। बा सिमटकर छोटी हो गयी थी। जैसे गर्मी में सिमटकर नदी रेखावत हो जाती है। शरीर को पोंछकर सुखाया गया। बालों में कंघी की गयी। बा के चेहरे पर हल्की-सी स्मिति की रेखा थी। जैसे कह रही हो, बस मेरा यह अंतिम कारज है। बापू के हाथ से कते सूत की लाल पाट की साड़ी बा ने संभालकर रखी हुई थी। सुशीला से कहा था, 'मेरा सार-संवार करके यही साड़ी मुझे पहना देना। जाते समय बापू की कोई याद तो लेकर जाऊं।' माथे पर चंदन का लेप किया। बापू ने आकर अपने हाथ से मांग में सिंदूर भरा। उनका शांत चेहरा मुखर हो उठा, जैसे सबको आशीर्वाद दे रही हो।

मनु, रामी और कनु ने बापू जी के कमरे को, जहां बा ने अंतिम सांस ली थी, साफ किया। मीराबेन ने चूने से चौरस चौक पूरा। सिर की तरफ ओम लिखा। पांव की तरफ स्वास्तिक बनाया। बा ने कलाई में विवाह से आज तक सुहाग कंगन पहना था, उसके ऊपर मालाएं लपेटीं। बालों में फूल सजाये। जब बा की देह पूरी तरह सज गयी तो उनके चेहरे की कान्ति और शांति और बढ़ गयी। सबने प्रार्थना की। गीता का पाठ हुआ। इस सब में डेढ़ घंटा लग गया। शरीर को पूरे हुए चौक में रख दिया गया। तेल का एक दीपक जलाकर रखा गया था। समझा जाता है कि मृत आत्मा को दूसरी दुनिया में प्रवेश के लिए आलोक की आवश्यकता होती है। वह आलोक इस लोक से साथ जाता है।

जनता पूरे दिन जेल के द्वार पर दर्शन के लिए प्रतीक्षा करती रही थी। वे लोग एक-एक मिनट का हाल जानने के लिए बेचैन थे। लेकिन सरकार डरी हुई थी कि पता नहीं जनता पर क्या प्रतिक्रिया हो। वे लोग चिल्लाते थे, बा-बापू जिन्दाबाद, फिर शांत हो जाते थे। मन ही मन बा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगते थे। वे सूरज के ताप, भूख-प्यास की अवहेलना करके भी डटे थे। आठ बजे के लगभग एक गार्ड ने भरी आंखों के साथ, बंद गेट के पास आकर बुदबुदाया, 'हमारी बा नहीं रही।' हाहाकार मच गया। सब एक दूसरे के पास जाकर कह रहे थे—बा नहीं रही। जो सुनता था वहीं धक्क से रह जाता था। देश-भर में तार खड़क गये। सारा देश फ़क्क रह गया।

बा का शरीर शांत हो जाने का समाचार सुनते ही जेल सुपरिंटेंडेंट कर्नल भंडारी बापू के पास आये। वे जानना चाहते थे कि बापू अंतिम संस्कार के बारे में क्या सोच रहे हैं। बापू ने तीन विकल्प सुझाये। एक था, बा का शरीर बेटों और संबंधियों को सौंप दिया जाये। उस स्थिति में दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से होगा। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा था कि महादेव की तरह बा का अंतिम संस्कार महल के अंदर ही कर दिया जाये, संबंधियों और मित्रों को उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाये। तीसरा था कि अगर यह भी स्वीकार न हो तो जेल के साथियों के साथ वे अकेले अग्नि संस्कार कर लेंगे।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि अग्नि संस्कार सार्वजनिक रूप से हुआ तो सरकार को अशांति और उपद्रव से डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे बेटे संभाल लेंगे। वे मर जायेंगे पर इस अवसर पर उपद्रव नहीं होने देंगे। कर्नल ने पूछा, 'यदि दाह संस्कार बाहर हुआ तो आप स्वयं उपस्थित रहना चाहेंगे?'

बापू ने कर्नल की तरफ देखा और कहा, 'नहीं, मेरे संबंधी और बेटे रहेंगे, आप निश्चिन्त रहें, मैं वहां नहीं जाऊंगा।'

सरकार बड़े जुलूस का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने दूसरा विकल्प मंजूर किया और महल में ही दाह संस्कार की अनुमति दे दी गयी।

गीता का पाठ रात को ग्यारह बजे समाप्त हुआ। देवदास, मनु, रामी और संतोकबेन को छोड़कर सबको बाहर भेज दिया गया। सुशीला तो बा की निकटतम परिचारिका थी ही। सब बारी-बारी से शव के पास बैठे। बापू शव के सिरहाने आंखें बंद किये समाधिस्थ भाव से अर्ध पद्मासन पर बैठे थे। जैसे बा की प्रत्यावर्तन यात्रा को चलचित्र की तरह अपने अंदर देख रहे हों। या जीवन के उस रहस्य के बारे में जिज्ञासु भाव से जानना चाह रहे हों, जो बा ने अपने त्याग और तपस्या से निष्कर्ष रूप में जाना था। यह भी हो सकता था कि दो योगियों का मौन संवाद चल रहा हो या बा अपने बाद आने वाली बापू की चिन्ताओं का शमन कर रही हो। यह भी संभव था कि बा, बापू से जुड़े सरोकारों को उनसे बांट रही हो। या बापू अपने मन का संताप बताकर मन हल्का कर रहे हों। कह रहे हों कि तुम मेरी भूलों को साथ न लेकर जाओ, मेरे लिए छोड़ जाओ। मैं उनके साथ रहकर प्रायश्चित करना चाहता हूं। भूलों से ही अहंकार का शमन होता है। मैंने अहिंसा का पाठ तुमसे ही पढ़ा है। मैंने बात और कर्म से तुम्हारा हृदय अनेक बार दुखाया है। तुमने वाचा से भी अहिंसा नहीं की। तुम सब बातों को कृष्णार्पण करके, निर्मल प्यार से नवाजती गयी। मैं भूला नहीं, सब याद है। हिंसा और अहिंसा में यही साम्य है, न हिंसा भूलती है और न अहिंसा। जब मेरे साथी मीर आलम ने दक्षिण अफ्रीका में भरी सभा में मुझ पर जनरल स्मट्स से पंद्रह हजार पौंड लेकर पूरे आंदोलन के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया था, तो भी मैंने सबके कहने के बावजूद, उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत नहीं की थी। मैंने यह तुमसे सीखा था। मैंने भी तुम पर घृणित आरोप लगाकर तुम्हें पीहर भेज दिया था, जबकि फेरों के समय जीवन भर साथ निबाहने का ताजा-ताजा संकल्प लेकर आये थे। तुमने मेरे उस क्रूर व्यवहार की किसी से भी शिकायत नहीं की। जब लौटी तो तुम उतनी ही उदार, स्नेहमयी और क्षमाशील थी...। यह मानसिक अहिंसा थी, जिसे जीवन में मुझसे पहले तुमने उतारा था। अब मैं अधूरा अनुभव कर रहा हूं।

बापू, बा के शव के पास से जब उठे तो बेहद शांत थे। *...क्रमश : अगले अंक में*

सूचना

मुम्बई सीएसटी, बरेली और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशनों पर सर्वोदय बुक स्टाल संचालित करने के लिए व्यवस्थापकों की जरूरत है। इच्छुक व्यक्ति निम्न पते पर अविलंब संपर्क करें।

सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-221001 (उत्तर प्रदेश)

फोन : 0542-2440-223/385, मो. 9451938269

रामगढ़ में संवाद-गोष्ठी

रामगढ़ में फरवरी मास के उत्तरार्ध में 'भेदभाव, नफ़रत और हिंसा के ख़िलाफ़ 'मानवीय एकता' द्वारा एक संवाद-गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था-'कुछ सामयिक सन्दर्भ और बतौर नागरिक हमारी जिम्मेदारी/भूमिका'।

संवाद की शुरुआत करते हुए 'मानवीय एकता' के साथी अशोक ने कहा कि इस समय नागरिकता का मुद्दा देश में बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है। देश की बदतर होती अर्थव्यवस्था और अर्थनीति की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए सीएए के जरिए नागरिकता कानून में जो संशोधन केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया है, उसका देश में पुरजोर विरोध हो रहा है। आपसी सद्भाव, भाईचारे, विश्वास और सहअस्तित्व को कमज़ोर करने की कोशिशों के कारण हमारे सामने खड़ी चुनौती और बड़ी बन गई है।

मानवीय एकता के राष्ट्रीय संयोजक ज्ञानेन्द्र ने कहा कि कानून और लोकतन्त्र की दृष्टि से जो संकट की स्थिति थी, वह ज्यादा गहरी हो गयी है। नागरिकता के सवाल पर देश के नागरिकों में यह डर समा गया है कि केन्द्र सरकार जिस तरह के दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को अनिवार्य बनाने जा रही है, उन्हें पूरा न करने पर उनके मौलिक अधिकार छीन लिये जाएँगे। सरकारी कम्पनियों को बेचने की तैयारियाँ जारी हैं। हिन्दू-मुस्लिम ध्रुवीकरण का खेल भी जारी है। मौजूदा हालात में लोग डरकर घरों में नहीं घुस गए हैं, बल्कि बाहर निकलकर तन कर खड़े हो गए हैं। शान्तिपूर्ण प्रतिरोध की इस जनचेतना को ज्यादा मज़बूत और मुखर बनाना सभी सचेत नागरिकों की जिम्मेदारी है।

जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विभूति विक्रम ने कहा कि आज देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोज़गार की है। इस सिलसिले में तकरीबन सभी राजनैतिक दलों ने यह भ्रम फैला रखा है कि पूर्ण रोज़गार सम्भव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के युवाओं को राजनैतिक दलों के झूठे प्रचार और बाँटने वाली राजनीति में फँसने से बचने की जरूरत है। युवा समाजकर्मी ज़ैनब ने संजीदा लोगों को तत्काल सक्रिय होना और मज़बूती से प्रतिरोध करना ज़रूरी है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि देश यदि शरीर है, तो संविधान उसकी आत्मा; और उनकी सुरक्षा हर देशवासी का पहला और सबसे ज़रूरी फ़र्ज़ है।

एनएपीएम की झारखण्ड राज्य समिति के सदस्य, सेवानिवृत्त शिक्षक बलराम सिंह ने आगाह किया कि हमारे सामने तत्काल आने वाला वास्तविक संकट एनपीआर का मुद्दा है, जिसमें केन्द्र सरकार ने 15 नई जानकारियों से जुड़े सवाल जोड़ दिए हैं; और वह यह काम जनगणना के साथ घालमेल करके आगे बढ़ाना चाहती है।

एनएपीएम के राष्ट्रीय संयोजक बसन्त हेतमसरिया ने कहा कि हिन्दू-मुसलमानों के बीच जिस तरह विद्वेष बढ़ाने का काम केन्द्र में सत्ताधारी दल द्वारा योजनापूर्वक किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ प्रभावी मोर्चा खोलना जरूरी हो गया है। एनपीआर चूँकि राज्य सरकारों को लागू करना है, इसलिए जहाँ भी विपक्षी दलों की सरकार है, वहाँ उन पर इसे न लागू करने का जनदबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरन्तर घट रही कमाई के चलते व्यापारी तबके में बहुत बेचैनी है। कोरोना वायरस के ताज़ा संकट ने चीन से होने वाले आयात-निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थिति से निपटने की क्षमता और सामर्थ्य का अभाव मौजूदा केन्द्र सरकार में नज़र आता है। कुल मिलाकर देश एक बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है।

संवाद-गोष्ठी में शामिल महिलाओं ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर गहरी चिन्ता जतायी और इस सन्दर्भ में प्रभावी कार्ययोजना बनाने पर बल दिया। **–अशोक**

जस्टिस मुरलीधर की यादगार विदाई

जस्टिस मुरलीधर के तबादले का आदेश रातों रात 26 फरवरी को जारी किया गया था. ने विदाई समारोह में कहा, 'हम आज एक अहम जज को विदाई दे रहे हैं, जो कानून के किसी भी विषय चलवाई थी. जस्टिस मुरलीधर ने पूछा था कि भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ एफआईआर

जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे. दिल्ली हिंसा पर सख्त टिप्पणी करने वाले जस्टिस मुरलीधर की टिप्पणी के बाद सियासी हलके में हंगामा खड़ा हो गया था. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए विदाई समारोह में जस्टिस मुरलीधर को कोहिनूर बताया गया. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल पर चर्चा कर सकता है और किसी भी मामले की व्याख्या कर सकता है.' उल्लेखनीय है कि जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने पूछा था कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा के लिए उकसाने वाले बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की. जस्टिस मुरलीधर ने नफरत भरे बयानों वाली वीडियो सुनवाई के दौरान क्यों दर्ज नहीं की गई. हालांकि, इस तबादले पर सरकार का कहना है कि जस्टिस मुरलीधर का तबादला एक रुटीन तबादला है. इस तबादले की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा की गई थी. इस पर जस्टिस मुरलीधर की सहमति भी ली गई थी. लेकिन जिस समय यह तबादला किया गया, वह सवाल खड़े करने को बाध्य करता है.

शांति एवं सद्भाव के लिए दिल्ली में सर्वधर्म प्रार्थना सभा

सर्व सेवा संघ के आह्वान पर देशभर के प्रमुख गांधीजनों एवं गांधीवादी संगठनों के प्रतिनिधि देश में शांति एवं सद्भावना की कामना के लिए 4 मार्च को जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली पर एकत्रित हुए और उन्होंने इस दौरान सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सर्वधर्म प्रार्थना एवं दिल्ली दंगों के दौरान हुई मौतों तथा हिंसा में घायल पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए एक धरने व सभा का आयोजन सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष महादेव विद्रोही की अध्यक्षता में किया। सभा में सभी वक्ताओं के स्वर एक थे। महात्मा गांधी के जीवन, कार्यों, दर्शन एवं बलिदान को स्मरण करते हुए सभी ने वर्तमान स्थिति में गांधीजनों की भूमिका को रेखांकित किया। उनका मानना था कि गांधी के देश में इस प्रकार की हिंसा न केवल विश्व शांति, राष्ट्रीय एकता एवं सर्वधर्म समभाव के लिए चुनौती है, बल्कि समूची मानवता को भी कलंकित करती है। महात्मा गांधी का मानना था कि यदि विश्व में हिंसा व्याप्त है तो ऐसे विश्व में वे नहीं रहना चाहते। गांधीजी ने यह भी कहा था कि यदि आंख के बदले आंख लेने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ी, तो एक दिन सभी अंधे हो जाएंगे। उनका कहना था कि सांप्रदायिक सद्भाव विशेषकर हिंदू-मुस्लिम एकता उतनी ही जरूरी है, जितनी कि भारत की स्वतंत्रता। अनेक वक्ताओं ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी उद्धृत किया। मौलाना आजाद ने कहा था कि यदि

आसमान से कोई फरिश्ता भी आकर मुझसे कहे कि आजादी अथवा हिंदू-मुस्लिम एकता में किसे चुनेंगे तो मेरा जवाब होगा कि आजादी से ज्यादा मूल्यवान हिंदू- मुसलमान एकता है। वक्ताओं का मानना था कि महात्मा गांधी व कस्तूरबा के 150वें जयंती वर्ष तथा संत विनोबा के 125वें जन्म वर्ष में ऐसी वारदातें सभी गांधीजनों के सामने चुनौती की तरह हैं और अब समय आ गया है कि वे एकजुट होकर उन शक्तियों का मुकाबला करें, जो हिंसा को बढ़ावा देकर हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को कमजोर बनाना चाहती हैं। आज यही जरूरी है कि सांप्रदायिक शक्तियों का पर्दाफाश किया जाए तथा साधारण जनों में गांधी विचार को ले जाने का कार्य दृढ़ता से किया जाए। ऐसा करने से ही इस देश की सम्प्रभुता, एकता एवं लोकतंत्र की रक्षा की जा सकेगी। सभा को लक्ष्मी दास, वयोवृद्ध गांधी सेवक सत्यपाल ग्रोवर, सतीश मराठा, शेख़ हुसैन, राममोहन राय, मोहम्मद आरिस, अंजुम आमिर, सैफ अली, अटल तिवारी, जगमोहन सिंह रावत आदि ने भी संबोधित किया। धरने में सर्व सेवा संघ के अतिरिक्त हरिजन सेवक संघ, यूनाइटेड रिलीजन्स इनीशिएटिव, हम भारत के लोग, गुजरात लोक समिति, राष्ट्रीय युवा परियोजना, नेशनल मूवमेंट फ्रंट, जनतंत्र समाज, खुदाई ख़िदमतगार हिन्द, निर्मला देशपांडे संस्थान, हाली पानीपत ट्रस्ट सहित अनेक संस्थाओं के सैकड़ों प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभा के अंत में मधुसूदन दास, संजय राय, प्रज्ञा नारंग ने सामूहिक रूप से सर्वधर्म प्रार्थना का गायन किया। सभा का सफल संचालन सर्व सेवा संघ के मंत्री चंदन पाल द्वारा किया गया। **–राममोहन राय**

'उम्मीद अभी जिन्दा है' पुस्तक का लोकार्पण

संसदीय लोकतंत्र, बालिग मताधिकार, सर्वधर्म समभाव, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, कानून का राज और अन्याय को बर्दाश्त न करना हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत रही है. भारत आज जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, उससे उबरने में स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श और जीवन मूल्य ही हमारा संबल हो सकते हैं. यह निचोड़ था, लखनऊ प्रेस क्लब में हुई गोष्ठी का, जिसका विषय था- 'स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत'। 1 मार्च को आयोजित इस कार्यक्रम में वयोवृद्ध समाजवादी नेता सग़ीर अहमद की पुस्तक 'उम्मीद अभी जिन्दा है' का लोकार्पण भी हुआ.

इस कार्यक्रम का आयोजन रफी अहमद किदवई मांटेसरी मेमोरियल ट्रस्ट एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद एकेडमी, लखनऊ के तत्वावधान में किया गया। सैयद सगीर अहमद ने कहा कि आज की नस्ल को नसीहत देना है कि आपस में व्यवहार अच्छा रखें। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात में भी उम्मीद की किरणें दिखती हैं, क्योंकि वहां पर दोनों वर्गों के लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं।

रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ईश्वर चंद द्विवेदी ने कहा कि हमें सत्य आयोग का गठन करना चाहिए ताकि लोग अपने-अपने तर्क और सबूत प्रस्तुत कर सकें और विवाद समाप्त हो सकें, जैसा दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने किया था। लखनऊ मांटेसरी इंटर कॉलेज के ट्रस्टी एवं अध्यक्ष नवीन चंद तिवारी ने कहा कि गांधीजी व अन्य महापुरुषों के विचारों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि विचार, दर्शन के साथ आचरण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद एकेडमी के महासचिव डॉ हाशमी ने कहा कि भाईचारे की विरासत को संजो कर ले चलना चाहिए, वरना महापुरुषों की कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। 'उम्मीद अभी जिंदा है' किताब के संपादक धीरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि आजादी के समय का मिशन तो पूरा हो गया, लेकिन हमें अपने अंदर अपनी-अपनी उम्मीदें जागृत रखनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में कई रोल मॉडल भी हमें मिले थे, किंतु आज उनका अभाव दिखता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र व वयस्क मताधिकार सबसे बड़ी विरासत रही है। सवाल पूछना भी हमारी विरासत है। कार्यक्रम में कम्युनिस्ट नेता अतुल अंजान ने कहा कि हम एक धर्म आधारित राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमें सबको बताना चाहिए कि 1937 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोलकाता में सरकार बनाई थी।

गांधी ट्रस्ट के अध्यक्ष राजनाथ शर्मा ने कहा कि गांधी जी ने जिस तरह से अंग्रेजों को बाहर निकाला, उसी तरीके से आज हमें फिर से संघर्ष करने की जरूरत है। पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा कि सर्वधर्म समभाव की रक्षा के लिए सभी को बाहर निकलना होगा। जस्टिस वीडी नकवी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम को मिलकर होली और ईद मनाना चाहिए, तभी हमारी साझी पहचान बनी रहेगी। गोरखपुर से आए सरदार देवेंद्र सिंह ने कहा कि पहले ऐसे नेता होते थे, जिनका कोई बड़ा व्यापार या प्रतिष्ठान नहीं होता था, इसलिए उन्हें कुछ खोने का डर नहीं रहता था, अब तो सब व्यापारी हो गए हैं। वाराणसी से आये सलमान बशर ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र है, यही सबसे बड़ी विरासत है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि अन्याय व अत्याचार के खिलाफ लड़ने की गांधीजी की विरासत कहां गई, आज उसकी बहुत जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में ट्रस्ट के सचिव जयप्रकाश ने सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि हमारी साझा विरासत जिंदा रहे, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। **–रामदत्त त्रिपाठी**

'Sarvodaya Jagat' Hindi Fortnightly
Registered under RNI No. 35495/78, Postal Registration No. VSI-(E) 04, Valid upto 31 December 2020
Issued by S.S.P.O. Varanasi (East Division)

कविता

महात्मा गांधी

❑ आनंद नारायण मुल्ला

मशरिक़ का दिया गुल होता है,
मग़रिब पे सियाही छाती है।
हर दिल सन-सा हो जाता है,
हर साँस की लौ थर्राती है।
उत्तर, दक्खिन, पूरब, पच्छिम,
हर सिम्त से इक चीख़ आती है।
नौ-ए-इंसाँ काँधों पे लिए,
गाँधी की अर्थी जाती है।
आकाश के तारे बुझते हैं,
धरती से धुआँ-सा उठता है।
दुनिया को ये लगता है जैसे,
सर से कोई साया उठता है।
कुछ देर को नब्ज़-ए-आलम भी,
चलते चलते रुक जाती है।
हर मुल्क का परचम गिरता है,
हर क़ौम को हिचकी आती है।
तहज़ीब जहाँ थर्राती है,
तारीख़-ए-बशर शरमाती है।
मौत अपने किये पर खुद जैसे,
दिल ही दिल में पछताती है।
इंसाँ वो उठा जिस का सानी,
सदियों में भी दुनिया जन न सकी।
मूरत वो मिटी नक्काश से भी,
जो बन के दोबारा बन न सकी।
देखा नहीं जाता आँखों से,
ये मंज़र-ए-इबरतनाक-ए-वतन।
फूलों के लहू के प्यासे हैं,
अपने ही ख़स-ओ-ख़ाशाक-ए-वतन।
हाथों से बुझाया खुद अपने,
वो शोला-ए-रूह वो पाक-ए-वतन।
दाग़ उस से सियह-तर कोई नहीं,
दामन पे तिरे ऐ ख़ाक-ए-वतन।
पैग़ाम-ए-अजल लाई अपने,
उस सब से बड़े मोहसिन के लिए।
ऐ वाए-तुलू-ए-आज़ादी,
आज़ाद हुए उस दिन के लिए।
जब नाखुन-ए-हिकमत ही टूटे,
दुश्वार को आसाँ कौन करे।
जब खुश्क हुआ अब्र-ए-बाराँ,
शाख़ों को गुल-अफ़शाँ कौन करे।
जब शोला-ए-मीना सर्द हो खुद,
जामों को फ़रोज़ाँ कौन करे।
जब सूरज ही गुल हो जाए,
तारों में चराग़ाँ कौन करे।
नाशाद वतन अफ़सोस तिरी,
किस्मत का सितारा टूट गया।
उँगली को पकड़ कर चलते थे,
जिस की वह रहबर छूट गया।

उस हुस्न से कुछ हस्ती में तिरी,
अज़दाद हुए थे आ के बहम।
इक ख्वाब-ओ-हक़ीक़त का संगम,
मिट्टी पे क़दम नज़रों में इरम।
इक जिस्म-ए-नहीफ़-ओ-ज़ार मगर,
इक अज्म-ए-जवान-ओ-मुस्तहकम।
चश्म-ए-बीना मासूम का दिल,
खुर्शीद नफ़स ज़ौक़-ए-शबनम।
वो इज्ज़-ए-ग़ुरूर-ए-सुल्ताँ भी,
जिस के आगे झुक जाता था।
वो मोम कि जिस से टकरा कर,
लोहे को पसीना आता था।
सीने में रखे काँटों को भी जो,
उस गुल की लताफ़त क्या कहिए।
जो ज़हर पिए अमृत कर के,
उस लब की हलावत क्या कहिए।
जिस साँस में दुनिया जाँ पाए,
उस साँस की निकहत क्या कहिए।
जिस मौत पे हस्ती नाज़ करे,
उस मौत की अज़्मत क्या कहिए।
ये मौत न थी कुदरत ने तिरे,
सर पर रक्खा इक ताज-ए-हयात।
थी ज़ीस्त तिरी मेराज-ए-वफ़ा,
और मौत तिरी मेराज-ए-हयात।
यकसाँ नज़दीक-ओ-दूर पे था,
बारान-ए-फ़ैज़-ए-आम तिरा।
हर दश्त-ओ-चमन हर कोह-ओ-दमन,
में गूँजा है पैग़ाम तिरा।
हर खुश्क-ओ-तर हस्ती पे रक़म,
है ख़त्त-ए-जली में नाम तिरा।
हर ज़र्रे में है तेरा मा बद,
हर क़तरा तीरथ धाम तिरा।
उस लुत्फ़-ओ-करम के आईं में,
मर कर भी न कुछ तरमीम हुई।
इस मुल्क के कोने कोने में,
मिट्टी भी तिरी तकसीम हुई।
तारीख़ में क़ौमों की उभरे,
कैसे कैसे मुमताज़ बशर।
कुछ मुल्क के तख़्त-नशीं थे वे,
कुछ तख़्त-फ़लक के ताज-बसर।
अपनों के लिए जाम-ओ-सहबा,
औरों के लिए शमशीर-ओ-तबर।
नर्द-ओ-इंसाँ टपती ही रही,
दुनिया की बिसात-ए-ताक़त पर।
मख़्लूक़ खुदा की बन के सिपर,
मैदाँ में दिलावर एक तू ही।
ईमाँ के पयम्बर आए बहुत,
इंसाँ का पयम्बर एक तू ही।

बाज़ू-ए-फ़र्दा उड़ उड़ के,
थके तिरी रिफ़अत तक जा न सके।
ज़ेहनों की तजल्ली काम आई,
ख़ाके भी तिरे हाथ आ न सके।
अलफ़ाज़-ओ-मानी ख़त्म हुए,
उनवाँ भी तिरा अपना न सके।
नज़रों के कँवल जल जल के बुझे,
परछाईं भी तेरी पा न सके।
हर इल्म-ओ-यकीं से बाला-तर,
तू है वो सिपेह्र-ए-ताबिंदा।
सूफ़ी की जहाँ नीची है नज़र,
शाइर का तसव्वुर शर्मिंदा।
पस्ती-ए-सियासत को तूने,
अपने क़ामत से रिफ़अत दी।
ईमाँ की तंग-ख़्याली को,
इंसाँ के ग़म की वुसअत दी।
हर साँस से दर्स-ए-अमन दिया,
हर जब्र पे दाद-ए-उल्फ़त दी।
क़ातिल को भी, गर लब हिल न सके,
आँखों से दुआ-ए-रहमत दी।
हिंसा को अहिंसा का अपनी,
पैग़ाम सुनाने आया था।
नफ़रत की मारी दुनिया में,
इक प्रेम संदेसा लाया था।
उस प्रेम संदेसे को तेरे,
सीनों की अमानत बनना है।
सीनों से कुदूरत धोने को,
इक मौज-ए-नदामत बनना है।
उस मौज को बढ़ते-बढ़ते फिर,
सैलाब-ए-मोहब्बत बनना है।
उस सैल-ए-रवाँ के धारे को,
इस मुल्क की किस्मत बनना है।
जब तक न बहेगा ये धारा,
शादाब न होगा बाग़ तिरा।
ऐ ख़ाक-ए-वतन दामन से तिरे,
धुलने का नहीं ये दाग़ तिरा।
जाते जाते भी तो हमको,
इक ज़ीस्त का उनवाँ दे के गया।
बुझती हुई शम्म-ए-महफ़िल को,
फिर शोला-ए-रक़्साँ दे के गया।
भटके हुए गाम-ए-इंसाँ को,
फिर जादा-ए-इंसाँ दे के गया।
हर साहिल-ए-ज़ुल्मत को अपना,
मीनार-ए-दरख़्शाँ दे के गया।
तू चुप है लेकिन सदियों तक,
गूँजेगी सदा-ए-साज़ तिरी।
दुनिया को अँधेरी रातों में,
ढारस देगी आवाज़ तिरी। ❑

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए प्रकाशक अरविन्द अंजुम द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार।